माल और सेवाओं का निर्यात

भाग ए- सामान्य

ए.1 - प्रस्तावना

(i) निर्यात व्यापार प्रचलित विदेश व्यापार नीति द्वारा विनियमित किया जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा विदेश व्यापार नीति जारी की जाती है ।

(ii) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और निर्देशों के अनुसार भारतीय रुपए में निर्यात संविदाओं की इनवायसिंग पर कोई रोक नहीं है। इसके अलावा, विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 2.52 के अनुसार, "सभी निर्यात संविदाओं और बीजकों को मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा या भारतीय रुपए में मूल्यांकित किया जाएगा किन्तु निर्यात प्राप्यों की वसूली मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में की जाएगी। फिर भी, किन्हीं विशेष निर्यातों की जमानत पर निर्यात प्राप्यों की वसूली भी रुपए में की जाएगी बशर्ते यह एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) का सदस्य या नेपाल या भूटान से इतर किसी देश में स्थित अनिवासी का मुक्त रूप से परिवर्तनीय वास्ट्रो खाते के माध्यम से हो"। भारतीय रूपया अभी तक मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा नहीं है।

(iii) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, रिज़र्व बैंक से कोई भी पत्राचार सर्वप्रथम विदेशी मुद्रा विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय से करना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक व्यक्ति रहता है अथवा फर्म अथवा कंपनी कार्य करती है।

(iv) व्यापार से संबंधित सभी मामलों के लेनदेनों के लिए “वित्तीय वर्ष” (अप्रैल से मार्च) समय का आधार है।

ए.2 माल/साफ्टवेयर/सेवाओं के निर्यात आय की वसूली और उसका प्रत्यावर्तन

यह निर्यातक की जिम्मेदारी है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों (Units in SEZ), हैसियत वाले निर्यातकों (SHE), निर्यात उन्मुख इकाइयों (EOU), ईएचटीपी, एसटीपी तथा बीटीपी में स्थित इकाइयों सहित सभी निर्यातकों के लिए निर्यातित माल/सॉफ्टवेयर/सेवाओं की पूरी राशि अगली सूचना तक निर्यात की तारीख से नौ माह के भीतर वसूल करते हुए भारत में प्रत्यावर्तित की जाए।यदि भारत के बाहर स्थापित वेयरहाउस को माल निर्यात किया जाता है तो उसकी वसूली पोतलदान की तारीख से पंद्रह माह की अवधि के अंदर की जाए।

ए.3 विदेशी मुद्रा खाता

(i) अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/ व्यापार मेले के सहभागियों को 21 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा.10(आर)/2015 -आरबी के तहत अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली के विनियम 5 (ई) (5) द्वारा विदेश में एक अस्थायी विदेशी मुद्रा खाता खोलने की सामान्य अनुमति है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी/व्यापार मेले में वस्तुओं की बिक्री द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा को निर्यातक भारत से बाहर ठहरने की अवधि के दौरान उक्त खाते में जमा कर सकते हैं और खाते का परिचालन कर सकते हैं, बशर्ते खाते में शेष राशि प्रदर्शनी/व्यापार मेले की समाप्ति की तारीख से एक

माह की अवधि के अंदर सामान्य बैंकिंग चैनल से भारत प्रत्यावर्तित की जाए और उसके पूरे ब्योरे संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को सौंपे जाएं।

ii) भारतीय रिज़र्व बैंक अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले निर्यातकों से, कुछ नियमों और शर्तों के अधीन, भारत में तथा भारत से बाहर विदेशी करेंसी खाते खोलने के लिए फार्म **ईएफ़सी (संलग्नक-1)** में प्राप्त आवेदनों पर विचार कर सकता है। भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक की किसी शाखा के पास ऐसा कोई खाता खोलने के लिए आवेदन पत्रों को उस शाखा के ज़रिए प्रस्तुत करना होगा जिसके यहाँ विदेशी करेंसी खाता रखा जाना है। यदि खाता विदेश में रखा जाना है तो निर्यातक उस बैंक के पूरे ब्योरे देते हुए, जिसके पास खाता रखा जायगा, आवेदन करे।

(iii) 21 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा.10(आर)/2015 -आरबी के विनियम 5 (बी) में निर्धारित शर्तों के तहत किसी भारतीय कंपनी को भी विदेश में अपने कार्यालय/ शाखा के नाम पर उक्त कार्यालय/ शाखा अथवा प्रतिनिधि के सामान्य व्यापार परिचालन के प्रयोजन हेतु प्रेषण द्वारा भारत के बाहर के बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलने, उससे लेनदेन करने और उसे बनाए रखने की अनुमति है।

(iv) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) स्थित इकाई, 21 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. फेमा. 10(आर)/ 2015-आरबी के विनियम 4(डी) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकती है और रख सकती है।

(v) भारत में निवासी कोई व्यक्ति जो कि किसी परियोजना/सेवा का निर्यातक है, वह परियोजना और सेवा निर्यातों पर अनुदेशों के ज्ञापन में दी गई मानक शर्तों के अधीन भारत के बाहर या भारत में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, उससे लेनदेन कर सकता है और उसे रख सकता है।

ए.4 डायमंड डॉलर खाता

भारत सरकार की योजना के तहत कच्चे (खुरदरे) या कटे हुए और पॉलिश किए हुए हीरों/प्लेन कीमती धातु की ज्वेलरी, मीनाकारी और/या हीरे और या अन्य रत्न जड़े हुए/ बिना जड़े हुए जवाहरात के क्रय/विक्रय में लगी हुई फर्म और कंपनियाँ, जिनका हीरों/ रंगीन रत्नों/ हीरे और रंगीन रत्न जड़े हुए जवाहरात / प्लेन गोल्ड जवाहरात के आयात या निर्यात का कम से कम दो वर्षों का ट्रैक रिकार्ड है और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों (लाइसेंसिंग वर्ष अप्रैल से मार्च तक है) के दौरान 3 करोड़ रुपए या उससे अधिक का औसत वार्षिक टर्नओवर है, उन्हें अपने प्राधिकृत व्यापारी द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार डायमंड डॉलर खातों के ज़रिए अपना कारोबार चलाने की अनुमति है। कोई कंपनी पाँच से अधिक डायमंड डॉलर खाते नहीं खोल सकती है। नीचे पैरा ए.5 के (iv) ए और (iv) बी में उल्लिखित शर्तें भी लागू होंगी।

ए.5 विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता

(i) 21 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. फेमा. 10 (आर)/2015-आरबी के तहत अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली के विनियम 4 (ए) के अनुसार भारत में निवासी व्यक्ति भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफ़सी) खाते के रूप में अभिहित विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है।

(ii) निवासी व्यक्तियों को कंपनी अधिनियम, 2013 में यथापरिभाषित निवासी निकट/घनिष्ठ संबंधी/रिश्तेदार को ईईएफसी बैंक खाते के संयुक्त धारक के रूप में शामिल करने की अनुमति 'प्रथम या उत्तरजीवी' के आधार पर दी जाए।

(iii) यह खाता ब्याज रहित चालू खाते के रूप में ही रखा जाएगा। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफ़सी) खाते के जमाशेष की जमानत पर निधि आधारित अथवा गैर-निधि आधारित ऋण सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

(iv) सभी श्रेणियों के विदेशी मुद्रा अर्जकों को अपने 100% विदेशी मुद्रा अर्जन निम्नलिखित शर्तों के तहत अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफ़सी) खाते में जमा करने की अनुमति है:

ए) कैलेण्डर माह के दौरान खाते में उपचित / आयी कुल राशि अनुमोदित प्रयोजनों अथवा वायदा प्रतिबद्धताओं के लिए समायोजित करने पर शेष रही पूरी राशि अनुवर्ती कैलेण्डर माह के अंतिम दिन को या उससे पूर्व रुपये में परिवर्तित की जाए।

बी) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (EEFC) योजना सुविधा का अभिप्राय यह है कि विदेशी मुद्रा अर्जक, भविष्य में विदेशी मुद्रा लेनदेन करते समय मुद्रा परिवर्तन/ लेनदेन लागत में बचत कर सकें। इस सुविधा का अभिप्राय यह नहीं है कि विदेशी मुद्रा अर्जक, विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियाँ बनाये रखें क्योंकि भारत में अभी भी पूँजीगत लेखे पूर्णत: परिवर्तनीय नहीं हैं।

(v) पात्र ऋण, निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करता है:-

(ए) सामान्य बैंकिंग चैनल से प्राप्त आवक विप्रेषण, और भारतीय रिज़र्व बैंक को दिए गए किसी वचन पत्र के अनुसरण में प्राप्त विप्रेषण अथवा जुटाए गए विदेशी करेंसी ऋण अथवा भारत के बाहर से प्राप्त निवेश अथवा विशेष दायित्वों को पूरा करने के लिए खाता धारक द्वारा प्राप्त की गई प्राप्तियों से भिन्न हैं।

(बी) 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई अथवा (ए) निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र अथवा (बी) एसटीपी अथवा (सी) ईएचटीपी में स्थित इकाई द्वारा उसी प्रकार की इकाई को अथवा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) की इकाई को माल की आपूर्ति करने के लिए उसके विदेशी मुद्रा खातों में से प्राप्त भुगतान अथवा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) की इकाई द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को माल की आपूर्ति करने के लिए उसके विदेशी मुद्रा खातों में से प्राप्त भुगतान।

(vi) प्राधिकृत व्यापारी, समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 3/2000-आरबी के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, अपने निर्यातक गाहकों को उनके ईईएफसी खाते में से समुद्रपारीय आयातकों को, बिना किसी सीमा के व्यापार संबंधी ऋण/ अग्रिम देने की अनुमति दे सकते हैं।

(vii) प्राधिकृत व्यापारी निर्यातकों को रुपया या विदेशी मुद्रा में लिए गए पैकिंग क्रेडिट अग्रिमों को उनके ईईएफसी खाते में जमा शेष राशि में से और अथवा रुपया स्रोतों से, वास्तव में किए गए निर्यात की सीमा तक, चुकौती करने की अनुमति दे सकते हैं।

(viii) जहां ईईएफसी खाते में निर्यात आगमों के एक हिस्से को जमा किया जाता है वहां निर्यात घोषणा (दूसरी प्रति) फार्म निम्नवत अभिप्रमाणित किया जाए: "आगम की . . . . . राशि जो निर्यात

वसूली का . . . . . प्रतिशत दर्शाती है को . . . . . के पास निर्यातक द्वारा रखे ईईएफसी खाते में जमा किया गया।"

ए.6 जवाबी (काउंटर) व्यापार व्यवस्था

भारतीय रिज़र्व बैंक का संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय जवाबी व्यापार प्रस्तावों पर, जिनमें कि भारत में खोले गए अमरीकी डॉलर में एस्क्रो खाते के ज़रिए भारतीय पार्टी और विदेशी पार्टी के बीच स्वैच्छिक रूप से की गई व्यवस्था के अनुसार भारत से निर्यातित माल के मूल्य के बदले भारत में आयातित सामानों के मूल्य के समायोजन शामिल है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन विचार करेगा:

(i) इस व्यवस्था के तहत सभी आयात और निर्यात, विदेश व्यापार नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर होना चाहिए।

(ii) एस्क्रो खाते में जमा शेषों पर ब्याज देय नहीं होगा किंतु अस्थायी रूप से अधिशेष रही निधियों को एक वर्ष में (अर्थात 12 महीनों के एक ब्लॉक में) तीन महीनों की कुल अवधि तक अल्पकालीन जमा के रूप में रखा जा सकता है और प्राधिकृत व्यापारी लागू दर पर ब्याज अदा कर सकते हैं।

(iii) निधि आधारित/अथवा गैर निधि आधारित सुविधाएं देने की अनुमति एस्क्रो खातों में धारित शेषों के लिए नहीं होगी।

(iv) विदेशी निर्यातक/संगठन एस्क्रो खाता खोलने की अनुमति हेतु आवेदन अपने प्राधिकृत व्यापारी, जिनके पास खाता खोलने का प्रस्ताव है, के ज़रिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें।

ए.7 सड़क, रेल अथवा नदी परिवहन द्वारा पड़ोसी देशों को निर्यात

(i) नौकाएं/देशी यान/सड़क परिवहन से निर्यातों के मामले में, निर्यातक अथवा उसके एजेंट को ईडीएफ फ़ार्म उस सीमा के सीमाशुल्क कार्यालय में, विदेशी क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व, प्रस्तुत करना चाहिए जिससे गुजरकर जहाज अथवा वाहन विदेशी क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस प्रयोजनार्थ निर्यातक फार्म को जहाज अथवा वाहन के प्रभारी व्यक्ति को देने अथवा सीमा पर अपने एजेंट को अग्रेषित करने की व्यवस्था करें जो इसे सीमाशुल्क कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

(ii) रेल से निर्यात के संबंध में, सीमाशुल्क औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कतिपय नामित रेल स्टेशनों पर सीमाशुल्क स्टाफ को तैनात किया गया है। इन स्टेशनों पर लादे गए माल के संबंध में वे ईडीएफ फ़ार्म लेंगे ताकि सीमा पर और किसी औपचारिकता के बिना माल अन्य देश को सीधे पहुँच सके। नामित रेल स्टेशनों की सूची रेलवे से प्राप्त की जा सकती है। नामित स्टेशनों से इतर स्टेशनों पर लादे गए माल के संबंध में निर्यातक को सीमावर्ती कस्टम स्टेशन पर सीमाशुल्क अधिकारी को, जहाँ सीमाशुल्क औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, ईडीएफ फार्मों को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करनी होगी।

ए.8 म्यांमार के साथ सीमा व्यापार

16 अक्तूबर 2000 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.17 में निहित अनुदेशों के अतिक्रमण में, भारत और म्याँमार के बीच सीमावर्ती व्यापार की वस्तु-विनिमय व्यवस्था 1 दिसंबर 2015 से खंडित की गई है

और सामान्य व्यापार व्यवस्था प्रतिस्थापित की गई है। तदनुसार, भारत और म्याँमार के बीच सीमावर्ती व्यापार सहित म्याँमार के साथ सभी व्यापारिक लेनदेनों के लिए भुगतान एशियन क्लियरिंग यूनियन के अतिरिक्त किसी अनुमत मुद्रा में किया जाएगा।

ए.9 रोमानिया के साथ जवाबी-व्यापार व्यवस्था

भारतीय रिज़र्व बैंक, रोमानिया के साथ निर्यातक के काउंटर ट्रेड प्रस्तावों, जिनमें संबंधित पक्षों के बीच स्वैच्छिक रूप से किए गए करार के अनुसार भारत में आयातों के मूल्य पर भारत से निर्यातों के मूल्य का समायोजन नियोजित हो, अन्य शर्तों के साथ-साथ, इस शर्त पर विचार करेगा कि भारतीय निर्यातक खाता खोलने की अनुमति के तहत खोले गए एस्क्रो खाते में जमा की तारीख से छः महीने के अंदर उन निधियों को भारत में रोमानिया से माल के आयात के लिए उपयोग करता है।

ए.10 राज्य ऋणों की चुकौती

पूर्ववर्ती यूएसएसआर द्वारा प्रदान किए गए राज्य ऋणों के भुगतान की जमानत पर माल और सेवाओं के निर्यात भारतीय रिज़र्व बैंक के, समय-समय पर यथासंशोधित, वर्तमान दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे।

ए.11 फारफेटिंग

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) और प्राधिकृत व्यापारियों को निर्यात प्राप्यों के वित्तपोषण के लिए फारफेटिंग प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। अतः एक्ज़िम बैंक/संबंधित प्राधिकृत व्यापारी द्वारा यथा अनुमोदित निर्यातक द्वारा देय वचनबद्धता शुल्क/सेवा प्रभारों, आदि के विप्रेषण की अनुमति प्राधिकृत व्यापारी दे सकते हैं। इस प्रकार के विप्रेषण संबंधित एजेंसी द्वारा यथानुमोदित एक मुश्त राशि के रूप में अग्रिम स्वरूप अथवा मासिक अंतराल में किए जा सकते हैं।

ए.13 परियोजना निर्यात और सेवा निर्यात

(i) आस्थागित भुगतान शर्तों पर इंजीनियरिंग का सामान निर्यात करने और विदेश में तैयार हालत में प्रस्तुत की जाने वाली परियोजनाओं (टर्न की प्रोजेक्टस) और सिविल निर्माण संविदाओं के निष्पादन को सामूहिक रूप से "परियोजना निर्यात" के रूप में समझा जाता है। भारतीय निर्यातकों को ऐसी संविदाओं के निष्पादन से पहले अधिनिर्णयोत्तर अवस्था में प्राधिकृत व्यापारी/एक्ज़िम बैंक से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। "परियोजना निर्यातों" और "सेवा निर्यातों" से संबंधित विनियमों को परियोजना और सेवा निर्यात से संबंधित अनुदेशों के संशोधित ज्ञापन (पीईएम) में निर्धारित किया गया है।

(ii) तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी/एक्ज़िम बैंक, बिना किसी मौद्रिक सीमा के, पोस्ट अवार्ड अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं तथा बाद में पोस्ट अवार्ड अनुमोदन शर्तों में संबंधित फेमा दिशानिर्देशों/विनियमावलियों के अंतर्गत परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं। परियोजना एवं सेवा निर्यातक अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी बैंक/एक्ज़िम बैंक से संपर्क कर सकते हैं। संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक/एक्ज़िम बैंक जिन परियोजनाओं के लिए पोस्ट अवार्ड अनुमोदन प्रदान किया गया है, उन परियोजनाओं की निगरानी करें।

(iii) परियोजना निर्यातकों और सेवा निर्यातकों को विदेश में उनके लेनदेनों हेतु वृहत्तर लचीलापन उपलब्ध करने के लिए निम्नवत सुविधाए दी गई हैं:

ए) मशीनरी का अंतर-परियोजना अंतरण

अंतरिती परियोजना से मशीनरी आदि की बाज़ार मूल्य (अंकित मूल्य से कम नहीं) की वसूली से संबंधित प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसके अलावा, प्रायोजक प्राधिकृत व्यापारी बैंक (बैंकों)/एक्ज़िम बैंक की संतुष्टि और रिपोर्टिंग अपेक्षा पूरी करने की शर्त के अधीन निर्यातक किसी भी देश में प्राप्त किसी अन्य संविदा के निष्पादन के लिए भी उस मशीनरी/ उपकरण, आदि उपयोग कर सकते हैं और प्राधिकृत व्यापारी बैंक (बैंकों) /एक्ज़िम बैंक इसकी निगरानी करेंगे।

बी) निधियों का अंतर-परियोजना अंतरण

प्राधिकृत व्यापारी /एक्ज़िम बैंक निर्यातकों को किसी देश या मुद्रा में निधियों की अंतर-परियोजना अंतरणीयता के साथ उनकी पसंद की मुद्रा/मुद्राओं में एक से अधिक विदेशी मुद्रा खाता/खाते खोलने, रखने और परिचालन करने की अनुमति दे सकते हैं।

सी) अस्थायी नकदी अधिशेष का विनियोजन

प्राधिकृत व्यापारी/एक्ज़िम बैंक द्वारा निगरानी के अधीन, परियोजना/सेवा निर्यातक, भारत के बाहर अर्जित अपने अस्थायी नकदी अधिशेषों को खजाना बिलों और अन्य मौद्रिक लिखतों सहित विदेशी अल्पावधि पत्रों (लिखतों) जिनकी परिपक्वता या शेष अवधि एक वर्ष या उससे कम हो और स्टैंडर्ड ऐण्ड पुअर द्वारा A-1/AAA अथवा मूडीज़ द्वारा P-1/Aaa अथवा फिट्च आइबीसीए द्वारा F1/AAA, आदि रेटिंग से कम न हो में निवेश कर सकते हैं तथा भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारी बैंकों की भारत से बाहर की शाखाओं/सहयोगी संस्थाओं के पास जमा के रूप में रख सकते हैं।

डी) <u>ऑन- साइट सॉफ्टवेयर संविदाओं के मामले में निधियों का प्रत्यावर्तन</u>

सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी/फर्म द्वारा ऑन-साइट संविदाओं के संबंध में संविदा मूल्य के 30 प्रतिशत के प्रत्यावर्तन की आवश्यकता को हटा दिया गया है। फिर भी, वे पूर्वोक्त संविदाओं के पूरे होने पर ऑन-साइट संविदाओं के लाभ को प्रत्यावर्तित करें।

ए.14 पट्टा, भाड़े, आदि पर वस्तुओं के निर्यात

पट्टा किराया/भाड़ा प्रभारों की वसूली और आखिरी पुनः आयात पर विदेशी पट्टाधारी के साथ करारनामा के तहत पट्टा/ भाड़ा आदि आधार पर मशीनरी, उपकरण के निर्यात के लिए प्राधिकृत व्यापारी के जरिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

ए.15 विस्तारित ऋण शर्तों पर निर्यात

विस्तारित ऋण शर्तों पर माल के निर्यात करने का इरादा रखने वाले निर्यातक पूरे ब्योरे देते हुए अपने प्रस्ताव अपने बैंकों के ज़रिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को विचारार्थ प्रस्तुत करें।

भाग- बी इडीएफ / सोफ्टेक्स प्रणाली

घोषणा फार्म और उसकी प्रणाली

बी.1 सीमाशुल्क पोर्ट के जरिए माल का निर्यात

(i) सीमाशुल्क अधिकारी घोषित मूल्य प्रमाणित करेंगे और गैर-इलेक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (EDI) पोर्ट पर निर्यातक द्वारा प्रस्तुत निर्यात घोषणा फार्म (EDF) (**संलग्नक-2**) की दो प्रतियों पर क्रम संख्या देंगे।

(ii) सीमाशुल्क अधिकारी उसकी मूल प्रति रिज़र्व बैंक को भेजने के लिए अपने पास रखेंगे और फार्म की दूसरी प्रति निर्यातक को लौटा देगे ।

(iii) निर्यातक जहाज से भेजे जाने वाले माल के साथ ईडीएफ फार्म की दूसरी प्रति सीमाशुल्क प्राधिकारी को दोबारा प्रस्तुत करें। माल की जांच करने और दूसरी प्रति पर पोतलदान के लिए पारित मात्रा को प्रमाणित करने के पश्चात् सीमाशुल्क प्राधिकारी उसे, निर्यात बिलों के संबंध में बातचीत करने अथवा वसूली हेतु प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत करने के लिए, निर्यातक को लौटा देगा ।

(vi) निर्यात की तिथि से 21 दिनों के भीतर निर्यातक ईडीएफ फार्म में नामित प्राधिकृत व्यापारी के पास संबंधित लदान दस्तावेजों के साथ दूसरी प्रति और बीजक की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि दाखिल करें।

(v) दस्तावेजों के संबंध में बातचीत करने/वसूली के लिए भेजने के पश्चात प्राधिकृत व्यापारी बैंक लेनदेन की रिपोर्ट EDPMS के जरिए रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें तथा दस्तावेज़ अपने पास रोक रखें।

(vi) आस्थगित ऋण व्यवस्था अथवा ईक्विटी सहभागिता पर विदेशी संयुक्त उद्यमों अथवा रुपया ऋण व्यवस्था के अंतर्गत किए गए निर्यातों के मामले में रिज़र्व बैंक अनुमोदन की संदर्भ संख्या और तिथि और/अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित परिपत्र की संदर्भ संख्या और तिथि ईडीएफ फार्म में उचित जगह पर दर्ज करें।

(vii) ईडीएफ फार्म की दूसरी प्रतिलिपि गुम हो जाने अथवा खो जाने पर प्राधिकृत व्यापारी, सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित ईडीएफ फार्म की दूसरी प्रति स्वीकार कर सकते है।

बी.2 इडीआई पोर्ट के जरिए माल/ सॉफ्टवेयर का निर्यात

(i) लदान बिल संबंधित सीमाशुल्क आयुक्त को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए।

(ii) सत्यापन और अधिप्रमाणन के बाद, सीमाशुल्क आयुक्त निर्यातक को वसूली/पोत लदान दस्तावेजों के लिए निर्यात की तारीख से 21 दिन के अंदर प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत किए जाने के लिए "विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति" अंकित लदान पत्र की एक प्रति सुर्पुद करेंगे।

(iii) लदान पत्र की ईसी प्रति (और उसके संलग्न फॉर्म एसडीएफ) के निपटान का तरीका वही है जो ईडीएफ फार्मों के लिए है। बीजक आदि की प्रति के साथ फार्म की दूसरी प्रति को प्राधिकृत व्यापारी अपने पास रखें और रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत न करें।

टिप्पणी: - उन मामलों में, जहाँ ईसीजीसी तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा नियंत्रित प्रायवेट बीमा कंपनियां प्रारंभिक रूप में उसके साथ बीमाकृत निर्यातों के संबंध में निर्यातकों

के दावों का निपटान करती है और बाद में क्रेता/क्रेता के देश से उनके द्वारा किए गए निर्यातों के ज़रिए निर्यात प्राप्यों को प्राप्त करती हैं, वहाँ यथा प्राप्त राशि में निर्यातकों का हिस्सा, बैंक, जिसने पोत लदान दस्तावेजों पर कार्रवाई की है, के ज़रिए वितरित किया जाता है। ऐसे मामलों में ईसीजीसी तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा नियंत्रित प्रायवेट बीमा कंपनियां पूरे प्राप्यों की प्राप्ति के बाद उस बैंक को, जिसने संबंधित पोत लदान दस्तावेजों पर कार्रवाई की है, एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। प्रमाण पत्र घोषणा पत्र की संख्या, निर्यातक का नाम, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम, परक्रामण की तिथि, बिल संख्या, बीजक मूल्य और ईसीजीसी तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण(आईआरडीए) द्वारा नियंत्रित प्रायवेट कंपनियों द्वारा प्राप्त वास्तविक राशि दर्शाएगा।

बी.3 डाक के जरिए माल का निर्यात

डाक प्राधिकारी डाक द्वारा माल के निर्यात की अनुमति तब देंगे जब फार्म की मूल प्रति पर प्राधिकृत व्यापारी बैंक ने प्रतिहस्ताक्षर किया हो। अतः डाक द्वारा माल के निर्यात हेतु ईडीएफ फार्म निर्यातक प्राधिकृत प्राधिकृत व्यापारी को प्रतिहस्ताक्षर के लिए पहले प्रस्तुत करें। प्रक्रिया इस प्रकार है:

(i) प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह सुनिश्चित करने के बाद कि पार्सल उसकी शाखा अथवा आयातक देश के संपर्ककर्ता बैंक को संबोधित किया जा रहा है फार्मों पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और मूल प्रति निर्यातक को लौटाएगा, जिसे निर्यातक पार्सल के साथ डाकघर को प्रस्तुत करेगा।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी, ईडीएफ फार्म की दूसरी प्रति अपने पास रखेंगे और निर्यातक उस प्राधिकृत व्यापारी को संबंधित दस्तावेज तथा बीजक की अतिरिक्त प्रति, बातचीत करने/वसूली हेतु, 21 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

(iii) संबद्ध विदेशी(ओवरसीज़) शाखा अथवा संपर्ककर्ता को भुगतान अथवा संबंधित बिल की स्वीकृति पर परेषिती को पार्सल वितरित करने का अनुदेश दिया जाए।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी, हालांकि, उन ईडीएफ फार्मों पर प्रतिहस्ताक्षर कर सकते हैं जो परेषिती को सीधे संबोधित करने वाले पार्सलों को कवर करते हैं, बशर्तः

(ए) निर्यात के पूरे मूल्य के लिए निर्यातक के पक्ष में एक अप्रतिसंहरणीय साख पत्र खोला गया है और संबंधित प्राधिकृत व्यापारी के जरिए सूचित किया गया है। अथवा

(बी) पोत लदान का पूर्ण मूल्य निर्यातक से प्राधिकृत व्यापारी के ज़रिए अग्रिम प्राप्त हुआ है। अथवा

(सी) प्राधिकृत व्यापारी, निर्यातक की प्रतिष्ठा, कार्य निष्पादन रिकार्ड और निर्यात आगमों की वसूली के लिए की गई व्यवस्था के आधार पर इस बात से संतुष्ट है कि वह ऐसा कर सकता है।

ऐसे मामलें में, अग्रिम भुगतान / साख-पत्र/ निर्यातक की प्रतिष्ठा, आदि के बारे में प्राधिकृत व्यापारी बैंक के प्रमाणीकरण के ब्योरे उचित अधिप्रमाणन के अधीन फार्म पर प्रस्तुत किए जाएं।

(v) ईडीएफ फार्म पर परेषिती के नाम और पते में कोई परिवर्तन होने पर प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा हस्ताक्षर करते हुए अपनी मुहर लगाकर उसे प्रमाणित किया जाए।

बी.4 गहरे समुद्र में मछलियों/समुद्री जीवों को पकड़ने वाले जलयानों द्वारा किए गए शिकार/पकड़े गए समुद्री जीवों का समुद्र से ही (प्रेषण) लदान

(i) निर्यातक सीमा शुल्क प्रमाणन के स्थान पर पोत के मास्टर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ईडीएफ फार्म प्रस्तुत करेगा जिसमें इंटरनैशनल कार्गो सर्वेयर के प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित पकड़े गए विविध शिकार/ जीवों की किस्म, मात्रा, निर्यात मूल्य, शिकार/ पकड़े गए जीवों के प्रेषण/ स्थानांतरण की तारीख आदि का उल्लेख हो।

(ii) कैरियर पोत द्वारा जारी लदान बिल/ ट्रांस-शिपमेंट रसीद में ईडीएफ फार्म के नंबर को शामिल किया जाए।

(iii) निर्यात मूल्य की वसूली और उसे प्रत्यावर्तित करने की विनिर्दिष्ट अवधि शिकार/पकड़े गए जीवों के स्थानांतरण की तारीख जिसे पोत के मास्टर *(*लदान लेने वाले*)* द्वारा प्रमाणीकृत किया गया हो या इनवाइस की तारीख, में से जो भी पहले हो, से गिनी/मानी जाएगी।

(iv) ईडीएफ/एसडीएफ फार्म, मूल और दूसरी प्रति दोनों, पर कृषि मंत्रालय द्वारा जलयान के परिचालन के लिए दिए गए अनुमति पत्र के नंबर तथा तारीख का उल्लेख होना चाहिए।

(v) निर्यातक ईडीएफ/एसडीएफ फार्म को दो प्रतियों में भरेगा और उन्हें जलयान के पंजीकरण पत्तन(पोर्ट) या कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किसी अन्य पत्तन के सीमाशुल्क कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमाशुल्क कार्यालय "सीमाशुल्क इलेक्ट्रानिक डेटा इंटरचेंज" में आंकड़े दर्ज करने के लिए ईडीएफ फार्म (की मूल प्रति) अपने पास रखेगा।

(vi) सीमाशुल्क कार्यालय ईडीएफ/एसडीएफ फार्म की दोनों प्रतियों पर क्रमिक क्रमांक (रनिंग सीरियल नंबर) देगा और उसकी दूसरी प्रति निर्यातक को लौटा देगा क्योंकि निर्यात के मूल्य का प्रमाणीकरण उल्लेखानुसार पहले ही हो जाता है।

(vii) निर्यातक/कों द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों को ईडीएफ फार्म प्रस्तुत करने से संबंधित प्रक्रिया के बाबत जारी नियमावली, विनियमावली और निर्देश तथा इन बैंकों द्वारा ऐसे फार्मों का निपटान उसी भांति होगा जैसाकि अन्य निर्यातकों के संबंध में लागू है।

बी.5 सोफ़्टेक्स (SOFTEX) फार्म

(i) सभी सॉफ्टवेयर निर्यातक एकल/थोक सॉफ्टेक्स फार्म एक्सेल फॉर्मेट में एक विवरण के रूप में सक्षम प्राधिकारी के पास प्रमाणन के लिए फाइल करेंगे।चूंकि STPI/SEZ से सॉफ्टेक्स डाटा

भारतीय रिज़र्व बैंक को इलेक्ट्रानिक फार्मेट में प्रेषित किया जा रहा है, अत: निर्यातक संशोधित प्रक्रिया के अनुसार सॉफ्टेक्स फार्म दूसरी प्रति में प्रस्तुत करेंगे। STPI/SEZ एक प्रति अपने पास रखेंगे तथा दूसरी प्रति यथोचित प्रमाणन के बाद निर्यातक को सुपुर्द करेंगे।अब तक की तरह, निर्यातक 25000 अमरीकी डॉलर से कम के बीजकों सहित सभी बीजकों संबंधी जानकारी एक्सेल फॉर्मेट में थोक विवरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

(ii) एकल के साथ-साथ बल्क(bulk) में साफ्टवेयर निर्यात के लिए सामान्य (common) साफ्टेक्स फार्म **(संलग्नक 3)** निरूपित किया गया है।

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक ने ईडीएफ फार्म नंबर और साफ्टेक्स फार्म नंबर (आफसाइट निर्यात में एकल अथवा बल्क में प्रयोग के लिए) आनलाइन जनरेट करने की सुविधा प्रदान की है।

बी.6 रिज़र्व बैंक के साथ किए जाने वाले सभी आवेदनों/पत्राचार में, ईडीएफ और साफ्टेक्स फार्म पर उपलब्ध विशिष्ट पहचान संख्या अनिवार्यत: दर्शाई जानी चाहिए।

बी.7 यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवाओं के निर्यात, जिनके लिए इन विनियमों में फार्म विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, के संबंध में निर्यातक कोई घोषणापत्र प्रस्तुत किए बिना ऐसी सेवाएँ निर्यात कर सकता है, परंतु ऐसे निर्यात के कारण देय अथवा उपचित होने वाली विदेशी मुद्रा की राशि, उक्त अधिनियम के प्रावधानों, और इन विनियमों, तथा इस अधिनियम के तहत बनाए गए अन्य नियमों और विनियमों के अनुसार वसूल करने तथा उसे भारत में प्रत्यावर्तित करने के लिए दायी होगा।

बी.8 तीसरी पार्टी से माल/ साफ्टेक्स फार्म के निर्यात के संबंध में निर्यात आगम राशि की वसूली निर्यातक द्वारा यथोचित घोषणा फार्म में विधिवत घोषित की जानी चाहिए।

बी.9 यादृच्छिक सत्यापन

उपर्युक्त सभी प्रक्रियाओं में, उनके आंतरिक/समवर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा संबंधित फार्मों की दूसरी प्रति का यादृच्छिक सत्यापन करके प्राधिकृत व्यापारी, यह सुनिश्चित करें कि यदि वसूली न करने या कम वसूली की कोई अनुमति दी गई है तो क्या वह उन्हें प्रत्यायोजित अधिकारों की सीमा के अंदर है अथवा यथावश्यक रिज़र्व बैंक द्वारा विधिवत अनु
मोदित है।

बी.10 आंशिक (short) पोतलदान/ रोका गया पोतलदान

(i) जब सीमा शुल्क विभाग के पास पहले से फाइल किए गए किसी ईडीएफ फार्म द्वारा कवर किए गए पोतलदान का कोई हिस्सा, अपूर्ण पोतलदान वाला हो जाता है, तो निर्यातक निर्धारित फार्म और तरीके से सीमा शुल्क विभाग को अपूर्ण पोतलदान की सूचना दे। सीमाशुल्क विभाग से प्रमाणित अपूर्ण पोतलदान की सूचना प्राप्त करने में विलंब होने के मामले में निर्यातक प्राधिकृत व्यापारी बैंक को इस आशय का एक वचन पत्र दे कि उसने अपूर्ण पोतलदान की सूचना सीमाशुल्क विभाग के पास फइल की है और प्राप्त होते ही वह उसे यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा।

जहाँ पोतलदान पूरी तरह रोक दिया गया है और पुनः पोत लदान की व्यवस्था होने में विलंब है, वहाँ निर्यातक इस प्रयोजन हेतु दो प्रतियों में निर्धारित तरीके और निर्धारित फार्म में उपयोग न किए गए ईडीएफ फार्म और पोत लदान बिल की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए कस्टम विभाग को सूचना दे। कस्टम विभाग यह जाँच करेगा कि पोतलदान सचमुच रोका गया है और सूचना को सही प्रमाणित करते हुए उपयोग न किए गए ईडीएफ फार्म की दूसरी प्रति के साथ उसे रिज़र्व बैंक को भेजेगा। इस स्थिति में, कस्टम विभाग से पहले ही प्राप्त मूल ईडीएफ फार्म को रद्द कर दिया जाएगा। यदि पोतलदान बाद में किया जाता है तो ईडीएफ फार्म का नया सेट भरा जाए।

बी.11 हवाई माल/ समुद्री माल का समेकन

(i) हवाई माल का समेकन

(ए) जहाँ समेकन के अंतर्गत हवाई माल लादा गया है वहाँ हवाई कंपनी के मास्टर एअर-वे बिल समेकन माल एजेंट को जारी किया जायेगा। माल एजेंट अपना हाउस एअर-वे बिल (एचएड़ब्ल्यूबी) व्यक्तिगत माल प्रेषक को जारी करेगा।

(बी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक, हाउस एअरवेज़ बिलों का परक्रामण तब करेंगे जब संबंधित साख पत्र एअरलाइन कंपनी द्वारा जारी एअरवेज़ बिलों के बदले इन दस्तावेजों को बेचान के लिए विशेष रूप से मुहैया कराता है।

(ii) समुद्री माल का समेकन

ए) प्राधिकृत व्यापारी, साख पत्र द्वारा समर्थित निर्यात लेनदेनों के संबंध में, नौवहन दस्तावेजों के परक्रामण/वसूली के लिए लदान बिल के बदले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) के अनुमोदित एजेंटों द्वारा जारी अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) को स्वीकार कर सकते हैं, यदि संबंधित साख पत्र में विशेष रूप से इस दस्तावेज के परक्रामण हेतु लदान बिल के बदले में इसे स्वीकार करने का उपबंध हो, भले ही समुद्रपारीय खरीददार के साथ संबंधित बिक्री संविदा में नौवहन दस्तावेज के रूप में लदान बिल के बदले में अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) को स्वीकार करने का उपबंध न हो।

बी) इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत व्यापारी, अपने विवेकानुसार, निर्यात लेनदेनों के उन मामले में जहाँ वे साख पत्र द्वारा समर्थित न हों वहाँ भी नौवहन दस्तावेजों की खरीद/बट्टा/वसूली के लिए (लदान बिल के बदले) प्रख्यात नौवहन कंपनियों/अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) के अनुमोदित एजेंटों द्वारा जारी अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) को भी स्वीकार कर सकते हैं, बशर्ते समुद्रपारीय खरीददार के साथ उनकी 'संबंधित बिक्री संविदा' में लदान बिल के बदले नौवहन दस्तावेज के रूप में अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) को स्वीकार करने का उपबंध हो। तथापि, खरीद/बट्टे के लिए ऐसे अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) की स्वीकृति पर ऋण देने का निर्णय पूर्णत: संबंधित बैंक का होगा, जिसे अन्य बातों के तहत, लेनदेनों की वास्तविकता और समुद्रपारीय खरीददार तथा भारतीय आपूर्तिकर्ता के ट्रैक रिकार्ड के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए क्योंकि अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदें (एफसीआर) परक्राम्य (Negotiable) दस्तावेज नहीं हैं। ऐसे मामलों में, निर्यातकों के लिए समुद्रपारीय खरीददार के बारे में यथोचित सावधानी सुनिश्चित करना औचित्यपूर्ण होगा ।

बी.12 घोषणा से छूट

12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 23(आर)/2015-आरबी के विनियम-4 में दर्शाए गए मामलों को EDF छूट लागू होगी।

पार्ट - सी

प्रधिकृत व्यापारियों का दायित्व

सी.1 ईडीएफ से छूट/ माफी (waiver) प्रदान करना

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक निर्यात संवर्धन के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के अधीन निर्यातकों के पिछले तीन वर्ष के औसत वार्षिक निर्यात के 2 प्रतिशत तक नि:शुल्क माल के निर्यात हेतु निर्यातकों से ईडीएफ से छूट के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करें। वर्तमान विदेशी व्यापार नीति के अनुसार हैसियतवाले निर्यातकों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपए अथवा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों (अप्रैल-मार्च) के दौरान औसत वार्षिक निर्यात वसूली का 2 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, है।

(ii)माल के निर्यात जहां प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई विदेशी मुद्रा लेनदेन शामिल नहीं है, वहाँ इसके लिए रिज़र्व बैंक से ईडीएफ प्रक्रिया में छूट लेनी आवश्यक है।

सी.2 निर्यातों पर अग्रिम की प्राप्ति

(i) 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा.23(आर)/2015-आरबी के विनियम 16 के अनुसार जहां निर्यातक भारत से बाहर के क्रेता से अग्रिम भुगतान (ब्याज के साथ अथवा बगैर ब्याज के) लेता है, वहाँ निर्यातक का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि माल का लदान अग्रिम भुगतान प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के अंदर किया जाए; अग्रिम भुगतान पर यदि कोई ब्याज देय हो तो उसकी दर लिबोर+100 आधार बिंदु से अधिक न हो, और लदान को कवर (cover) करनेवाले दस्तावेज़, उस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से भेजे जाएं, जिसके माध्यम से अग्रिम भुगतान प्राप्त किया गया है।

बशर्ते कि अग्रिम भुगतान प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के अंदर निर्यातक द्वारा अंशतः या पूर्णतः लदान करने में असमर्थ होने की स्थिति में, रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अग्रिम भुगतान के उपयोग न किए गए अंश की धनवापसी या ब्याज के भुगतान के लिए विप्रेषण नहीं किया जाएगा।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, न्यूनतम तीन वर्षों का संतोषजनक ट्रैक रेकार्ड रखने वाले निर्यातकों को, दीर्घावधि आपूर्ति संविदाओं को पूरा (execute) करने में उपयोग के लिए अधिकतम 10 वर्षों की तक की अवधि के दीर्घावधि अग्रिमों की प्राप्ति हेतु भी, निम्नलिखित शर्तों के तहत, अनुमति प्रदान कर सकते हैं :

ए) पक्का, अप्रतिसंहरणीय (irrevocable) आपूर्ति आदेश एवं संविदा प्राप्त हो। उत्पाद की कीमत प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप हो।

बी) कंपनी क्षमता, सिस्टम और प्रोसेस से सज्ज हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपूर्ति आदेश के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि में आपूर्ति आदेश पूरा किया जा सकेगा।

सी) यह सुविधा केवल उन एंटिटीज़ को दी जाए जो प्रवर्तन निदेशालय अथवा ऐसी किसी विनियामक एजेंसी की प्रतिकूल नाटिस में न हों अथवा जिन्हें सतर्कता सूची में न डाला गया हो।

डी) ऐसे अग्रिमों को भावी निर्यातों के प्रति समायोजित किया जाना चाहिए।।

ई) यदि कोई ब्याज देय हो तो वह लिबोर+200 आधार अंक से अधिक नहीं होना चाहिए।

एफ) दस्तावेज केवल एक प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से आने-जाने (route होने) चाहिए।

जी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा एएमएल/केवायसी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

एच) ऐसे निर्यात अग्रिमों का इस्तेमाल अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत रुपया ऋणों की अदायगी के लिए नहीं किया जाएगा।

आई) निर्यात आदेश को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में दोहरे वित्तपोषण से बचना चाहिए ।

जे) 100 मिलियन अमरीकी डालर या अधिक के ऐसे अग्रिमों की प्राप्ति से व्यापार प्रभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को तुरंत अवगत कराया जाए।

के) यदि प्राधिकृत व्यापारी बैंक से निर्यात निष्पादन के संबंध में बैंक गारंटी/ आपाती साखपत्र जारी करने की अपेक्षा हो तो बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ, विवेकपूर्ण अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए किसी अन्य क्रेडिट प्रस्ताव की भांति कड़ाई के साथ उनका मूल्यांकन किया जाए।बैक गारंटी/आपाती साखपत्र एक बार में दो वर्षों से अधिक अवधि के लिए जारी न किए जाएं और इसके बाद एक बार में रोल ओवर दो वर्षों तक का ही दिया जा सकता है बशर्ते संविदा के अनुसार निर्यात निष्पादन संतोषजनक हो।बैक गारंटी/आपाती साखपत्र द्वारा केवल घटे हुए अग्रिम शेष को कवर किया जाना चाहिए।ओवरसीज़ क्रेता के पक्ष में भारत से जारी बैक गारंटी/आपाती साखपत्र की निरंतरता को ओवरसीज़ शाखा/भारत में बैंक की सहायक संस्था द्वारा रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

टिप्पणी : प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक गारंटी और सह-स्वीकार्यता पर डीबीआर द्वारा जारी मास्टर परिपत्र से भी मार्गदर्शन ग्रहण करें ।

एल) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक विभिन्न शाखाओं/बैंकों में रखे गए निर्यातक के ई.ई.एफ.सी. खाते में धारित संपूर्ण शेष राशि के उपयोग के बाद ही ईईएफसी खाते में जमा अग्रिम भुगतान से धनवापसी के लिए बाज़ार से विदेशी मुद्रा खरीदने की अनुमति दे सकते हैं।

(iii) ऐसे माल जिनके तैयार होने एवं पोत लदान (शिपिंग) में एक वर्ष से अधिक का समय लगता है और जहां 'निर्यात करार' में निर्यात अग्रिम की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के बाद पोत लदान का प्रावधान है ऐसे मामलों में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक निम्नलिखित शर्तों के तहत निर्यातकों को निर्यात अग्रिम प्राप्त करने की अनुमति दे सकते हैं:

ए) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ने ओवरसीज क्रेता के लिए अपने ग्राहक को जानने (केवायसी) और समुचित सावधानी (ड्यू डिलीजेंस) बरतने संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली हो;

बी) धनशोधन निवारण (एएमएल) मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो;

सी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्यातक द्वारा प्राप्त किए गए निर्यात अग्रिम का उपयोग, निर्यात निष्पादित (execute) करने के लिए किया जाए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं अर्थात लेनदेन वास्तविक (bonafide) लेनदेन हो;

डी) कार्य की प्रगति के अनुसार किया जाने वाला भुगतान (progress payment) यदि हो, तो वह संविदा की शर्तों के अनुसार ही(strictly) ओवरसीज़ क्रेता से सीधे प्राप्त किया जाए;

ई) अग्रिम भुगतान पर, यदि कोई ब्याज देय हो, तो उसकी दर लिबोर+100 आधार अंक से अधिक नहीं होनी चाहिए;

एफ) विगत तीन वर्षों में प्राप्त अग्रिम भुगतान के 10% से अधिक की धन वापसी का कोई मामला (instance) नहीं होना चाहिए;

जी) पोत लदान (शिपमेंट) को कवर करने वाले दस्तावेज एक ही प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से आने-जाने (route होने) चाहिए।

एच) निर्यातक द्वारा पूर्णत: अथवा अंशत: पोत लदान (शिपमेंट) कर पाने में असमर्थता की स्थिति में, अग्रिम भुगतान की उपयोग न हुई राशि अथवा ब्याज के भुगतान के लिए विप्रेषण, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना, नहीं किया जाएगा।

iv) ए) प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित निर्यातकों के साथ सक्षम अनुवर्ती कार्रवाई करें कि निर्यात (माल के निर्यात मामले में पोत लदान) विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाता है।

बी) प्राधिकृत व्यापारी समुचित सावधानी बरतें तथा KYC और AML दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि केवल वास्तविक निर्यात अग्रिम ही भारत में आ सकें । संदेहास्पद मामले और पुराने चूककर्ताओं के मामले आगे की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (DoE) को प्रेषित किए जाएंगे। ऐसे मामलों के ब्योरे दर्शानेवाला तिमाही विवरण (**संलग्नक-4** के अनुसार) प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिनों के अंदर भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित किया जाए।

सी.3 विदेश में व्यापार मेले/ प्रदर्शनी के लिए ईडीएफ का अनुमोदन

विदेश में व्यापार मेले/प्रदर्शनी में भाग लेने वाली फर्मों/कंपनियों और अन्य संगठनों को भारत के बाहर प्रदर्शनी में भाग लेने और बिक्री हेतु माल ले जाने/निर्यात करने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। जिन वस्तुओं की प्रदर्शनी में बिक्री नहीं हो पाती है उन्हें उसी देश में प्रदर्शनी/व्यापार मेले के बाहर या किसी अन्य तीसरे देश में बेच सकते हैं। इस प्रकार की बिक्री बट्टाकृत मूल्य में भी की जा सकती है। प्रति प्रदर्शनी/ व्यापार मेले में प्रति निर्यातक को 5000 अमरीकी डॉलर मूल्य की न बिकी हुई वस्तुओं को उपहार में देने की भी अनुमति है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, भारत के बाहर व्यापार मेले/ प्रदर्शनी में प्रदर्शन या प्रदर्शन-व-बिक्री हेतु निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए ईडीएफ फार्म को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन दे सकते हैं :

(i) निर्यातक, न बिकी हुई वस्तुओं के भारत में पुनः आयात के लिए संबंधित आगत-बिल को एक माह के भीतर प्रस्तुत करें ।

(ii) निर्यातक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को निर्यात की गई सभी वस्तुओं के निपटान विधि के साथ-साथ भारत में आय की प्रत्यावर्तन पद्धति के बारे में रिपोर्ट करेगा ।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा अनुमोदित इस प्रकार के लेनदेन उनके आंतरिक निरीक्षक/लेखा परीक्षक द्वारा शत-प्रतिशत लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।

सी.4 पुनः आयात हेतु माल के निर्यात के लिए ईडीएफ का अनुमोदन

(i) ऐसे मामलों में जहां माल का निर्यात मरम्मत/ रखरखाव/ परीक्षण/ कैलिब्रेशन आदि के बाद पुनःआयात के लिए किया जाता है, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ईडीएफ अनुमोदन देने के लिए निर्यातकों के अनुरोधों पर विचार कर

सकते हैं, बशर्ते निर्यातक भारत से निर्यातित वस्तुओं के पुनः आयात के एक महीने के अंदर संबंधित आगत-बिल (बिल ऑफ एंट्री)प्रस्तुत करें।

(ii) जहां परीक्षण के लिए निर्यातित वस्तुएं परीक्षण के दौरान नष्ट हो जाती हैं, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक आयात के लिए बिल ऑफ एंट्री के बदले परीक्षण करनेवाली एजेंसी से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करे कि परीक्षण के दौरान वस्तुएं नष्ट हो गई हैं।

सी.5 ईडीएफ औपचारिकता के बिना कस्टम्स के विशेष अधिसूचित क्षेत्र (SNZ) से बिक्री न किए गए कच्चे हीरों का पुन: आयात

(i) SNZ में लागत मुक्त आधार पर आयतित्त बिक्री न किए गए कच्चे हीरों के पुन: निर्यात सुगम बनाने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि बिक्री न किए गए कच्चे हीरे, जब DTA में प्रवेश के बिना SNZ (कस्टम्स की अंदर क्षेत्र होने के कारण) से पुन: निर्यात किए जाते हैं, तब EDF औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ii) SNZ में कच्चे हीरों के विभिन्न लोटस (lots) के परेषण के प्रवेश के साथ बीजक के रूप में आनुमानिक मूल्य की घोषणा होनी चाहिए तथा परेषण का लागत मुक्त स्वरूप दर्शाते हुए पैकिंग सूची होनी चाहिए।

सी.6 विदेश में कार्यालय खोलना और समुद्रपारीय कार्यालयों के लिए अचल संपत्ति का अधिग्रहण

(i) भारत से बाहर कार्यालय खोलते समय, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक शुरुआती खर्चे के लिए पिछले दो लेखा वर्ष की औसत वार्षिक बिक्री/आय अथवा टर्नओवर के पंद्रह प्रतिशत तक अथवा निवल मालियत के पच्चीस प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, के विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

(ii) भारत के बाहर कार्यालय (व्यापारिक/गैर-व्यापारिक)/ शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय के सामान्य कारोबारी परिचालन के प्रयोजन के आवर्ती खर्चे के लिए पिछले दो वित्तीय वर्ष के दौरान औसत वार्षिक बिक्री/ आय या टर्नओवर के दस प्रतिशत तक निम्नलिखित शर्तों पर विप्रेषण भेजा जा सकता है :
ए) समुद्रपारीय शाखा/ कार्यालय खोलना या प्रतिनिधि की तैनाती भारतीय कंपनी के सामान्य कार्यकलाप को करने के लिए की गई है;

बी) समुद्रपारीय शाखा/कार्यालय/प्रतिनिधि अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों का उल्लंघन करते हुए कोई संविदा या करार नहीं करेगा।

सी) समुद्रपारीय कार्यालय (व्यापारिक/ गैर-व्यापारिक)/ शाखा/प्रतिनिधि कार्यालय भारत स्थित प्रधान कार्यालय के लिए आकस्मिक या अन्य प्रकार की वित्तीय देयताएं सृजित नहीं करेगा और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर विदेश में अतिरिक्त निधियों का निवेश भी नहीं करेगा। अतिरिक्त निधियां होने पर उन्हें भारत प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

(iii) विदेश में खोले गए बैंक खाते के ब्योरों की सूचना तत्काल प्राधिकृत व्यापारी को दी जाए।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी भारत में निगमित कंपनियों को, जिनके समुद्रपारीय कार्यालय हैं, प्रारंभिक और आवर्ती खर्चों, अपने व्यापार और स्टाफ के रिहाइशी प्रयोजनों हेतु भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए भी उपर्युक्त सीमा के अंदर विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।
(v) सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी/फर्म के समुद्रपारीय कार्यालय/की शाखा प्रत्येक "ऑफ साइट" संविदा के मूल्य का 100 प्रतिशत भारत को प्रत्यावर्तित कर सकती हैं ।"ऑन साइट " संविदा लेनेवाली कंपनियों के मामले में, वे ऐसी "ऑन साइट " संविदाओं के लाभ को उक्त संविदा के पूरा होने के बाद प्रत्यावर्तित करे। समुद्रपारीय कार्यालय द्वारा की गई "ऑफ साइट" और "ऑन साइट" संविदाओं के तहत प्राप्तियों और उस/उन पर हुए व्यय और प्रत्यावर्तन को दर्शाते हुए लेखापरीक्षित वार्षिक विवरण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को भेजा जाए।

सी.7 निर्यातकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों की प्रस्तुति में विलंब

उन मामलों में जहाँ निर्यातक निर्यात से संबंधित दस्तावेजों को निर्यात तिथि से 21 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत करता है वहाँ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना कार्रवाई कर सकता है बशर्ते कि वह विलंब के लिए दिए गए कारणों से संतुष्ट हो।

सी.8 निर्यातकों को दस्तावेज लौटाना

वसूली, संग्रहण हेतु प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को एक बार प्रस्तुत किए गए ईडीएफ/ एसडीएफ फ़ार्मों की दूसरी प्रतियां और पोतलदान दस्तावेज, में हुई गलतियों में सुधार तथा पुनः प्रस्तुतीकरण की स्थिति को छोड़कर, सामान्यतः निर्यातकों को नहीं लौटाया जानी चाहिए।

सी.9 बंदरगाह-विहीन देश

प्राधिकृत व्यापारी लदान पत्र की एक परक्रामण प्रति वाहक पोत के मास्टर अथवा कारोबार प्रतिनिधि को कतिपय बंदरगाह विहीन देशों को निर्यात के संबंध में सुपुर्द कर सकते हैं यदि लदान किसी अप्रतिसंहरणीय साख पत्र द्वारा रक्षित है और दस्तावेज साख पत्र की शर्तों, जो अन्य बातों के साथ साथ, ऐसे वितरण की शर्त लगाती है, के अनुरूप पक्का है।

सी.10 निर्यातकों द्वारा प्रलेखों (documents) का सीधा प्रेषण

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, सामान्यतः लदान प्रलेख अपनी विदेशी शाखाओं/ संपर्ककर्ता को तुरंत भेजें। तथापि, वे ऐसे मामलों में लदान प्रलेखों को सीधे परेषिती अथवा माल के अंतिम गंतव्य देश में निवासी एजेंट को भेजें, जहां:

ए) निर्यात लदान के पूर्ण मूल्य का अग्रिम भुगतान अथवा अप्रतिसंहरणीय साख पत्र प्राप्त हुआ हो और अंतर्निहित बिक्री संविदा/साखपत्र में लदान प्रलेखों को सीधे परेषिती अथवा माल के अंतिम गंतव्य देश में निवासी अपने एजेंटों को भेजने का प्रावधान हो।

बी) यदि निर्यातक नियमित ग्राहक है और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, निर्यातक की प्रतिष्ठा और पिछले कार्यनिष्पादन रिकार्ड तथा निर्यात प्राप्यों की वसूली हेतु की गई व्यवस्था से संतुष्ट है तो ऐसा अनुरोध स्वीकार किया जा सकता है।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी, "हैसियतवाले निर्यातक" (विदेशी व्यापार नीति में यथा परिभाषित) को और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) की इकाइयों को भारत के बाहर के परेषिती को निर्यात दस्तावेज़ भेजने की अनुमति भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकते हैं:

ए) **ईडीएफ** फॉर्म में उल्लिखित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से निर्यात आय प्रत्यावर्तित की गयी है।

बी) निर्यातक ने निर्यात की तिथि से 21 दिन के भीतर **ईडीएफ/एसडीएफ** फॉर्म की प्रतिलिपि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, को निगरानी हेतु प्रस्तुत की है।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी, निर्यातक द्वारा सीधे परेषिती को अथवा माल के अंतिम गंतव्य देश में रहने वाले एजेंट को 1 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य तक के प्रति निर्यात शिपमेंट के पोत शिपमेंट दस्तावेज भेजने के मामलों को निम्नलिखित शर्तों के तहत नियमित कर सकते हैं :

ए) संपूर्ण निर्यात आय की वसूली हो चुकी हो ।

बी) निर्यातक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का कम से कम छः माह से नियमित ग्राहक रहा हो।

सी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक में निर्यातक के खाते के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 'अपने ग्राहक को जानिए'/ 'धन शोधन निवारक' पर मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया हो।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, लेनदेनों की वास्तविकता से संतुष्ट हो ।

डी) किसी प्रकार का संदेह होने पर ,प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, एफआईयू-आईएनडी (भारत में वित्तीय आसूचना इकाई) में संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) दर्ज़ करवा सकते हैं।

सी.11 आंशिक आहरण / अनाहरित शेष राशि

(i) कतिपय निर्यात व्यापार के कार्यक्षेत्रों में निरीक्षण और विश्लेषण के लिए माल के आने के बाद तौल, मात्रा आदि सुनिश्चित किए जाने पर उसमें पाए गए अंतर के समायोजन के बाद भुगतान हेतु अनाहरित बीजक मूल्य का एक छोटा अंश छोड़ देने की प्रथा है। ऐसे मामलों में प्राधिकृत व्यापारी बिलों की बिक्री बातचीत से तय कर सकते हैं, बशर्तः-

ए) पूर्ण निर्यात मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत की शर्त के अधीन निर्यात व्यापार के विशिष्ट कार्यक्षेत्र में अनाहरित शेष राशि को सामान्य समझा जाता हो।

(बी) निर्यातक से ईडीएफ फार्मों की अनुलिपि पर इस आशय का एक वचन-पत्र प्राप्त किया जाता है कि वह वसूली हेतु निर्धारित अवधि के अंदर पोतलदान के शेष आगम अभ्यर्पित करेगा/लेखा-जोखा देगा।

(ii) उन मामालों में जहाँ निर्यातक को अनाहरित शेष के प्रत्यावर्तन के लिए काफी प्रयास के बावजूद व्यवस्था कर पाना संभव नहीं हुआ, प्राधिकृत व्यापारी मामले की प्रामाणिकता (bona fides) के बारे में संतुष्ट होने पर यह सुनिश्चित करें कि जिसके लिए शुरू में (अनाहरित शेषों को छोड़कर) निर्यातक ने कम से कम मूल्य का बिल आहरित किया था अथवा **ईडीएफ** फार्म पर घोषित मूल्य का 90 प्रतिशत, जो भी अधिक है, की वसूली की है और पोत लदान की तिथि से एक वर्ष की अवधि बीत चुकी है।

सी. 12 परेषण निर्यात

(i) जब परेषण (consignment) आधार पर माल का निर्यात किया गया है, तब प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपनी विदेशी शाखा/संपर्ककर्ता को पोत लदान दस्तावेजों को भेजते समय यह सूचित करें कि निर्यात के प्राप्यों की वसूली हेतु निर्धारित अवधि के भीतर किसी विशिष्ट तिथि को बिक्री प्राप्यों की सुपुदर्गी के लिए न्यास (trust) रसीद / वचन पत्र पर ही उन्हें सुपुर्द करें। इस क्रियाविधि का अनुसरण कतिपय व्यापारों में प्रथा के अनुसार तब भी करना चाहिए जब अनुमानित मूल्य के अंश के लिए बिल निर्यातों पर अग्रिम के रूप में आहरित है।

(ii) एजेंट/परेषिती उतराई प्रभारों, गोदाम भाड़ा, हैंडिलिंग प्रभारों आदि, जैसे माल की प्राप्ति, भंडारण और बिक्री पर सामान्यतः किए गए माल के खर्चों की बिक्री प्राप्यों से कटौती करके शुद्ध प्राप्य निर्यातक को प्रेषित करे।

(iii) एजेंट/परेषिती से प्राप्त बिक्रय-लेखा की जाँच प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा की जानी चाहिए। बिक्रय-लेखा में कटौतियों के साथ, डाक टिकट/केबल प्रभारों, स्टैम्प ड्यूटी आदि जैसी फुटकर मदों के मामले को छोड़कर, बिल/रसीदें मूल रूप में लगी होनी चाहिए।

(iv) भाड़े और नौवहन बीमा की व्यवस्था भारत में ही की जाए।

(v) प्राधिकृत व्यापारी बैंक, निर्यातक को बिक्री करार अवधि की समाप्ति पर न बिकी हुई शेष पुस्तकों के छोड़ देने की अनुमति दे सकते हैं। तदनुसार, निर्यातक न बिकी हुई शेष पुस्तकों के मूल्य को विक्रय-लेखा में निर्यात आय से कटौती के रूप में दर्शाए।

सी.13 विदेश में गोदाम (वेयरहाउस) खोलना/ किराये पर लेना

प्राधिकृत व्यापारी, विदेश में गोदाम खोलने/किराए पर लेने के लिए निर्यातकों से प्राप्त आवेदन पर विचार कर सकते हैं और निम्नलिखित शर्तों के अधीन उन्हें अनुमति दे सकते हैं:

(i) आवेदक का निर्यात बकाया पिछले वर्ष में किए गए निर्यात के 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो।

(ii) आवेदक का पिछले वर्ष के दौरान न्यूनतम निर्यात टर्न-ओवर 100,000/- अमरीकी डॉलर रहा हो।
(iii) वसूली की अवधि वही हो जो कि लागू है ।

(iv) सभी लेनदेन, प्राधिकृत व्यापारी बैंक की नामित शाखा के माध्यम से, किए जाएंगे।

(v) निर्यातकों को उक्त अनुमति प्रारंभ में एक साल के लिए दी जाए और उसके बाद आवेदक द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाएं पूरी करने की शर्त पर नवीकरण हेतु विचार किया जा सकता है।

(vi) ऐसी अनुमति/अनुमोदन देने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक श्रेणी । दिए गए अनुमोदनों का उचित रिकार्ड रखेंगे।

सी.14 निर्यात बिल रजिस्टर

प्राधिकृत व्यापारी, भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईडीपीएमएस के अनुरूप निर्यात बिल रजिस्टर बनाए/रखें। सभी प्रकार के निर्यात लेनदेनों को वित्तीय वर्ष आधार पर (अर्थात अप्रैल से मार्च तक)बिल संख्या देनी चाहिए और उसे EDPMS में रिपोर्ट करना चाहिए।

सी.15 अतिदेय बिलों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई

(i) प्राधिकृत व्यापारी, बिलों की वसूली पर कड़ी निगरानी रखें और उन मामलों में, जहां बिल भुगतान के लिए देय तिथि से अधिक समय से बकाया हो, ऐसे मामले की ओर संबंधित निर्यातक का ध्यान तत्काल आकर्षित करें। यदि निर्यातक विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर आगमों की सुपुर्दगी नहीं कर पाता है अथवा उससे अधिक समय हेतु विस्तार मांगता है तो ऐसे मामले को रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को, जहां संभव हो वहाँ प्राप्यों की वसूली में हुए विलंब का कारण बताते हुए, रिपोर्ट करें।

(ii) ईडीएफ/साफ्टेक्स फ़ार्मों की अनुलिपि को प्राधिकृत व्यापारी, अनाहरित शेषों के मामले को छोड़कर, तब तक अपने पास रखें जब तक कि पूरे प्राप्यों की वसूली न कर ली जाए।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी, निर्यात बकाए के संबंध में निर्यातकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई लगातार और प्रभावी रूप से करें ताकि चूककर्ता निर्यातकों के खिलाफ कार्रवाई में कोई विलंब न हो। प्राधिकृत व्यापारी द्वारा निर्यात आगमों की वसूली के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई में हुई ढिलाई को रिज़र्व बैंक गंभीरता से लेगा, ऐसे मामले में फेमा, 1999 के तहत जुर्माना हो सकता है।

(iv) 01 मार्च 2014 से EDPMS के परिचालित होने से, 28 फरवरी 2014 के बाद लदान दस्तावेजों के लिए सभी निर्यात लेनदेनों की वसूली EDPMS में रिपोर्ट की जाए तथा 01 मार्च 2014 से पहले के पुराने बकाया लदान बिल साइकल पूर्ण होने तक एक्सओएस में रिपोर्ट किए जाएँ।

सी. 16 मीयादी बिलों के पूर्व भुगतान के कारण बीजक मूल्य में कटौती

कभी- कभी निर्यातक मीयादी बिलों के पूर्व भुगतान के लिए विदेशी क्रेताओं को नकद छूट देने के कारण बीजक मूल्य में कमी के लिए प्राधिकृत व्यापारी से संपर्क करते हैं। प्राधिकृत व्यापारी, निर्यात संविदा में लगाई गई ब्याज दर पर अथवा जहाँ संविदा में ब्याज-दर निर्धारित नहीं की गयी है, बीजक मुद्रा की प्राइम दर/ लिबोर पर गणना करते हुए मीयादी बिलों की समाप्त न हुई अवधि पर आनुपातिक ब्याज की राशि की सीमा तक नकद छूट की अनुमति दे सकते हैं।

सी.17 अन्य मामलों में बीजक मूल्य में कमी

(i)बिल बेचान (नेगोशियेट) किए जाने या संग्रहण के लिए भेजने के बाद यदि उसकी राशि किसी कारण से कम करना चाहते हैं तो प्राधिकृत व्यापारी, यदि अनुरोध की प्रामाणिकता से संतुष्ट हैं तो उसके लिए अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते:

ए) यह कमी बीजक मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

बी) आधार मूल्य शर्तें, वस्तुओं के निर्यात पर लागू नहीं होती हैं।

सी) निर्यातक रिज़र्व बैंक की निर्यातक-चेतावनी सूची में नहीं है, और

डी) निर्यातक को आनुपातिक निर्यात प्रोत्साहन यदि उसने लिया हो, तो उसे अभ्यर्पित करने के लिए सूचित किया गया है।

(ii) ऐसे निर्यातकों के मामले में, जो कि तीन वर्ष से अधिक अवधि से निर्यात व्यापार में हैं, किसी प्रतिशत सीमा के बिना उक्त शर्तों के साथ ही साथ उनका कार्यनिष्पादन संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में अर्थात निर्यात बकाया पिछले तीन कैलेंडर वर्ष के दौरान औसत वार्षिक निर्यात वसूली के 5 प्रतिशत से अधिक न होने पर बीजक मूल्य में कटौती की अनुमति दी जा सकती है।

(iii) पिछले तीन कैलेंडर वर्ष के दौरान औसत निर्यात वसूलियों के लिए बकाया निर्यात बिलों के प्रतिशत की गणना करने के उद्देश्य से बाहरी समस्याओं का मुकाबला करने वाले देशों को किए गए निर्यातों के बकाए के बारे में ध्यान न दिया जाए बशर्ते क्रेताओं द्वारा भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया गया हो।

सी.18 क्रेता/परेषिती (कंसाइनी) में परिवर्तन

जहाँ, जहाज पर माल लादने के बाद उसे मूल क्रेता द्वारा चूक करने की स्थिति में मूल क्रेता के बजाय किसी अन्य क्रेता को अंतरित किया जाना है, ऐसे सभी मामलों में रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि मूल्य में कटौती, यदि कोई हो, तो वह 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो और निर्यात आगमों की वसूली में निर्यात की तिथि से 12 माह की अवधि से अधिक विलंब न हुआ हो।जहां मूल्य में कटौती 25% से अधिक होती है, पैराग्राफ सी.17 में विनिर्दिष्ट सभी अन्य संबंधित शर्तें भी पूर्ण की जानी चाहिए।

सी.19 विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा माल का निर्यात

(i) विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों को विदेश में नियत कार्य करने और उसी देश से माल निर्यात करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी गई है :-

ए**)** प्रसंस्करण/विनिर्माण प्रभार को निर्यात कीमत में उपयुक्त ढंग से शामिल किया जाता है और वह अंतिम क्रेता द्वारा वहन किया जाता है।

बी) सामान्य **ईडीएफ** प्रक्रिया के अधीन, निर्यातक द्वारा पूर्ण निर्यात मूल्य की वसूली के लिए संतोषजनक व्यवस्था की गई है।

(ii) एसईजेड की इकाइयों द्वारा डीटीए की इकाइयों को सेवाओं का निर्यात: एसईजेड की इकाइयों द्वारा डीटीए की इकाइयों को दी गई सेवाओं के लिए डीटीए की इकाइयों द्वारा एसईजेड की इकाइयों को विदेशी मुद्रा में भुगतान करने हेतु डीटीए की इकाइयों को प्राधिकृत व्यापारी बैंक विदेशी मुद्रा का विक्रय करने हेतु अनुमत हैं। यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि एसईजेड के डेवलपमेंट कमिश्नर द्वारा एसईजेड इकाई को जारी अनुमोदन पत्र, डीटीए क्षेत्र की इकाई को एसईजेड की इकाई द्वारा आपूर्त माल/दी गई सेवाओं से संबंधित उपबंधों में विदेशी मुद्रा में भुगतान करने का उल्लेख हो।

सी. 20 समय सीमा में विस्तार

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I बैंकों को निर्यात की तिथि से 12 महीनों से ऊपर निर्यात प्राप्यों की वसूली की अवधि में एक समय 6 माह तक अवधि विस्तार देने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी है चाहे निर्यात के बीजक मूल्य कुछ भी हो:

ए) निर्यात लेनदेन प्रवर्तन निदेशालय/ केंद्रीय जांच ब्यूरो अथवा अन्य जांच एजेंसियों की जाँच-पड़ताल के अधीन नहीं है।

बी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक स्वयं इस बात से संतुष्ट हो कि निर्यात प्राप्यों की वसूली निर्यातक के वश से बाहर है।

सी) निर्यातक ने इस आशय का घोषणा-पत्र दिया है कि वह निर्यात प्राप्यों की वसूली विस्तारित अवधि में कर लेगा।

डी) निर्यात की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि विस्तार पर तभी विचार किया जाएगा जब कि निर्यातक का कुल निर्यात बकाया एक मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान औसतन निर्यात वसूली के 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से अधिक न हो।

ई) निर्यात की तारीख से छः महीने से अधिक के बकाया सभी निर्यात बिलों को एक्सओएस (XOS) विवरण में रिपोर्ट किया जाए। फिर भी, जहां प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा समय-विस्तार प्रदान किया गया है, वहाँ जिस तारीख तक समय-विस्तार प्रदान किया गया है उसे "टिप्पणी" कॉलम में दर्शाया जाए।

एफ) जहां निर्यातक ने आयातक के खिलाफ विदेश में मुकदमा दायर किया हो तो प्राप्य राशि/बकाया राशि पर ध्यान दिये बिना समय-विस्तार प्रदान किया जाए।

(ii) उपर्युक्त अनुदेशों द्वारा कवर न किए गए मामलों में रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्वानुमोदन अवश्यक होगा।

(iii) रिपोर्टिंग EDPMS में किया जाना चाहिए।

सी.21 मार्गस्थ पोत लदान का खो जाना

(i) उन मामलों में जहाँ भारत से रवाना हुए शिपमेंट जिनका भुगतान न तो साखपत्र के तहत बातचीत से बिलों का निस्तारण किया गया हो अथवा अन्य किसी प्रकार से मार्ग में ही कहीं गायब हो गया हो, प्राधिकृत व्यापारी हर हालत में यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार नुकसान का पता लगते ही बीमे का दावा दायर कर दिया जाए।

(ii) उन मामलों में जहाँ, मार्गस्थ गुमशुदा शिपमेंट के दावों, जिनका दावा विदेश में देय है, प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपनी विदेशी शाखा/ अपने संपर्ककर्ता के माध्यम से गुमशुदा शिपमेंट पर मिलने वाले दावे की पूर्ण राशि की वसूली के बाद ही ईडीएफ फार्म की प्रतिलिपि भेजें।

(iii) दावे की राशि प्राप्त हो जाने का प्रमाणन दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर दे दिया जाए।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि मार्गस्थ गुमशुदा शिपमेंट के दावे जिनका कि विदेश में वाहक देयता के अधीन आंशिक रूप से निपटान सीधे नौवहन कंपनियों/एयरलाइंस द्वारा किया जाता है, की राशियों को भी निर्यातक द्वारा भारत में प्रत्यावर्तित किया जाता है।

सी.22 निर्यात दावे

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, आवेदन पर निर्यात-दावों का विप्रेषण कर सकते हैं बशर्ते कि संबंधित निर्यात आगमों की पहले ही वसूली हो चुकी हो और उसे भारत को प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो और निर्यातक रिज़र्व बैंक की निर्यातक-चेतावनी सूची में नहीं हो। निर्यातक को यह सूचित किया जाना चाहिए कि आनुपातिक निर्यात प्रोत्साहन, यदि उसने प्राप्त किया हो तो, लौटा दे।

सी.23 निर्यात बिलों को बट्टे खाते डालना

(i)अपने अत्यधिक प्रयासों के बावजूद, बकाया निर्यात देयों की वसूली न कर पाने वाले निर्यातक, स्वयं अथवा उन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से, जिन्होंने संबंधित पोत लदान दस्तावेजों पर कार्रवाई की, वसूल न किए गए अंश को बट्टे खाते डालने का अनुरोध करते हुए उपयुक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ संपर्क करें। निर्यात बिलों की वसूल न सकी राशि को बट्टेखाते डालने के लिए निम्नलिखित सीमाएं निर्धारित की गई हैं:

निर्यातक द्वारा स्वयं बट्टेखाते में डालना (स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर से भिन्न)	5%*
स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर द्वारा स्वयं बट्टेखाते में डालना	10%*
प्राधिकृत व्यापारी द्वारा बट्टेखाते में डालना	10%*

*पिछले कलैंडर वर्ष के दौरान वसूल हुई कुल निर्यात आगम राशि के।

(ii)उल्लिखित सीमाएं पिछले कैलेण्डर वर्ष के दौरान वसूल की गयी कुल निर्यात राशियों से संबद्ध होंगी और वर्ष में संचयी रूप से उपलब्ध होंगी।

iii) उपर्युक्त बट्टे खाते में डालना इस शर्त के अधीन होगा कि संबंधित राशि एक वर्ष से अधिक समय से बकाया रही है, प्राप्त होने वाली राशियों को वसूल करने के लिए सभी प्रयास करने के बाबत संतोषजनक दस्तावेजी सबूत हैं/प्रस्तुत किए गए हैं और मामला निम्नलिखित में से किसी वर्ग में आता है:

ए) विदेशी क्रेता को दिवालिया घोषित किया गया है और शासकीय परिसमापन प्राधिकरण से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है कि निर्यात प्राप्यों की वसूली की कोई संभावना नहीं है।

बी) विदेशी क्रेता का काफी समय से पता नहीं लग पा रहा है।

सी) आयातित देश में बंदरगाह/ सीमाशुल्क/ स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्यातित माल नीलाम अथवा नष्ट कर दिया गया है।

डी) वसूल न हुई राशि का भारतीय दूतावास, वाणिज्यिक विदेशी चैम्बर अथवा उसी प्रकार के संगठन के हस्तक्षेप के जरिए यदि निपटान किया गया हो तो वह शेष प्राप्य को दर्शाती है।

ई) वसूल न हुई राशि बकाया और निर्यातक द्वारा सभी प्रयास किए जाने के बावजूद निर्यात बिल के (बीजक मूल्य का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं) आहरित न हुए शेष को दर्शाती है और निर्यातक द्वारा सभी प्रयासों के बावजूद वह राशि वसूली नहीं जा सकी है।

एफ) विधिक कार्रवाई चालू करने की लागत, निर्यात बिल की वसूल न हुई राशि से संगत नहीं होगी अथवा जहाँ निर्यातक विदेशी क्रेता के विरूद्ध न्यायिक मामला जीतने के बाद भी अपने नियंत्रण से परे कारणों से कोर्ट डिक्री निष्पादित नहीं कर सका।

जी) साख-पत्र मूल्य और वास्तविक निर्यात मूल्य के अंतर अथवा भाड़ा प्रभारों के अनंतिम और वास्तविक के बीच अंतर हेतु बिलों के आहरण किए गए थे किंतु विदेशी क्रेता से बिलों के अनादर के परिणामस्वरूप राशि वसूल नहीं हो पाई और वहाँ वसूली के कोई आसार नहीं हैं।

(iv) निर्यातक ने संबंधित पोत लदानों के संबंध में लिए गए निर्यात प्रोत्साहनों, यदि कोई हों, के आनुपातिक अंश को लौटा/ सुर्पुद कर दिया है। प्राधिकृत व्यापारी, संबंधित बिलों को बट्टे खाते में डालने की अनुमति देने से पहले, लिए गए निर्यात प्रोत्साहनों की सुपुर्दगी के दस्तावेज़ी साक्ष्य प्राप्त करें।

(v) स्वयं द्वारा बट्टे खाते में डालने के मामले में, निर्यातक सनदी लेखाकार का इस आशय का एक प्रमाणपत्र संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत करे जिसमें पिछले कैलेण्डर वर्ष में वसूल हुई निर्यात राशि और इस वर्ष के दौरान पहले ही बट्टे खाते में डाली गयी राशि, यदि कोई हो, संबंधित ईडीएफ/एसडीएफ नंबर, जिन्हें बट्टे खाते में डालना है, बिल नं., इनवाइस का मूल्य, निर्यातित पण्य, निर्यातित देश के नाम का उल्लेख हो। सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र में यह भी दर्शाया जाए कि यदि कोई निर्यात लाभ निर्यातक द्वारा लिए गए हैं तो उन्हें सुर्पुद किया गया है।

(vi) "बट्टे खाते में डालने" की सुविधा हेतु निम्नलिखित पात्र नहीं है:

ए) ऐसे बाह्य समस्याओं वाले देशों को किए गए निर्यात अर्थात विदेशी क्रेता ने जहाँ स्थानीय मुद्रा में निर्यात के मूल्य को जमा किया है किन्तु उक्त राशि के प्रत्यावर्तन की अनुमति देश के केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकारियों ने नहीं दी है।

बी) ईडीएफ, जो प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व गुप्तचर निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आदि जैसी एजेंसियों द्वारा अन्वेषण के अधीन है, के साथ ही साथ वे बकाया बिल भी जो सिविल/आपराधिक मुकदमे (suit) के अधीन हैं।

(vii) प्राधिकृत व्यापारी बट्टे खाते में डाले गए निर्यात बिल रिज़र्व बैंक को EDPMS के जरिए रिपोर्ट करें।

(viii) प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे एक ऐसी प्रणाली अमल में लाएं जिसके तहत उनके आंतरिक निरीक्षक अथवा लेखापरीक्षक (प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा नियुक्त किए गए बाह्य लेखापरीक्षकों सहित) बकाया निर्यात बिलों को बट्टे खाते में डालने के लिए यादृच्छिक नमूना जाँच/प्रतिशत में जाँच (random sample check/percentage check) करें।

(ix) उल्लिखित अनुदेशों द्वारा कवर न किए गए/उल्लिखित सीमाओं से ऊपर की सीमा वाले मामले भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएं।

सी. 24 ईसीजीसी और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित निजी बीमा कंपनियों द्वारा द्वारा दावों के भुगतान के मामले बट्टे खाते डालना

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, ईसीजीसी तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा नियंत्रित कंपनियों से दस्तावेज़ी साक्ष्य, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि बकाया बिलों से संबंधित दावों का निपटान किया जा चुका है, आवेदन प्राप्त होने पर निर्यातक से संबंधित निर्यात बिलों को बट्टे खाते में डाल दें और एक्सओएक्स विवरण से उसे हटा दें।

(ii) ऐसे बट्टे खाते डाले गये मामलों में ऊपर दर्शायी गयी 10 प्रतिशत तक की सीमा लागू नहीं होगी।

(iii) प्रोत्साहनों के अभ्यर्पण, यदि कोई हों, ऐसे मामले में विदेश व्यापार नीति में दिए गए अनुसार किये जाएंगे।

(iv) ईसीजीसी और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा नियंत्रित प्रायवेट बीमा कंपनियों द्वारा रुपए में निपटाए गए दावे विदेशी मुद्रा में निर्यात वसूली नहीं समझे जाएंगे।

सी.25 बट्टे खाते डालना- छूट

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 में घोषित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत, किसी निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत निर्यात आगम राशि की वसूली हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन जोर न दिया जाए:-

ए) गुणवत्ता के आधार पर बट्टे खाते में डालना, प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा अथवा रिज़र्व बैंक की ओर से प्राधिकृत व्यापारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है;

बी) निर्यातक, क्रेता से निर्यात आगम राशि की वसूली न किये जाने के तथ्य के संबंध में भारत के संबंधित विदेश मिशन से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है; और

सी) यह स्वयं बट्टे खाते डालने के मामले में लागू नहीं होगा ।

सी.26 निर्यात से प्राप्य राशियों को आयात के भुगतानों से घटाना

प्राधिकृत व्यापारी, निर्यात से प्राप्य राशियों को आयात के भुगतानों से घटाने का कार्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन कर सकते हैं:

(i) आयात लागू विदेशी व्यापार नीति के अनुसार हो।
(ii) घरेलू उपयोग के लिए आयातक द्वारा किए गए आयात की इनवाइसें/ लदान बिल/हवाई बिल और पत्तन प्रवेश बिल संबंधी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की प्रतियां प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत की गयी हों।
(iii) आयातक की बहियों में आयात के भुगतान अब भी बकाया हों।
(iv) बिक्री तथा खरीद संबंधी लेनदेन दोनों को ही अलग- अलग 'आर' रिटर्न और FETERS में रिपोर्ट किया गया हो।

(v) संबंधित ईडीएफ फार्म प्राधिकृत व्यापारी तभी देंगे जब संपूर्ण निर्यात आय/आमद समायोजित/प्राप्त हो जाए।

(vi) निर्यात से प्राप्य राशियों को आयात के लिए देय भुगतान से घटाने की अनुमति एक ही ओवरसीज खरीददार एवं आपूर्तिकर्ता के लिए उसकी सहमति प्राप्त करने के बाद दी जाएगी ।

(vii) एशियन क्लियरिंग यूनियन के सदस्य देशों के साथ हुए निर्यात/आयात लेनदेन इस प्रबंध (व्यवस्था) से बाहर रहेंगे।

(viii) सभी संबंधित दस्तावेज संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत किये जाएंगे जो लेनदेन के संबंध में सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

सी.27 निर्यात प्राप्तियों का आयात भुगतान के साथ समायोजन (नेटिंग ऑफ) - विशेष आर्थिक क्षेत्रों की इकाइयाँ

प्राधिकृत व्यापारी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों की निर्यात प्राप्तियों का आयात भुगतानों के साथ समायोजन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकते हैं:

(i) आयात भुगतानों के बदले निर्यात प्राप्तियों के समायोजन उसी भारतीय कंपनी और समुद्रपारीय क्रेता/आपूर्तिकर्ता (द्विपक्षीय समायोजन) के लिए हो और समायोजन विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों के तुलनपत्र की तारीख को किया जाए।

(ii) निर्यात किए गए माल का विवरण और आयात किए गए माल का विवरण, जैसा भी मामला हो, संबंधित घोषणापत्र में दर्ज किया जाए। संबंधित ईडीएफ फार्मों को नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा पूर्ण किया गया तभी माना जाएगा जबकि संपूर्ण आय का समायोजन किया गया हो/संपूर्ण आय प्राप्त हो गई हो।

(iii) बिक्री और खरीद दोनों प्रकार के लेनदेन को एफईटी-ईआरएस के अंतर्गत आर-विवरणी में अलग-अलग रिपोर्ट किया जाए।

(iv) एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) देशों के साथ किए गए निर्यात/आयात लेनदेनों को इस व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है।

(v) सभी संगत दस्तावेज संबंधित प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत किए जाएं जोकि लेनदेनों से संबंधित सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

सी.28 निर्यातकों संबंधी सतर्कता सूची

(i) चेतावनी दी गई निर्यातकों की सूची प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को दी जाएगी और यदि सतर्कता-सूची में सूचीबद्ध निर्यातक के प्रस्तावित निर्यातों के पूरे मूल्य को कवर करते हुए अग्रिम भुगतान या अविकल्पी साखपत्र उनके पक्ष में पाने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यातक का ईडीएफ फार्म अनुमोदित करें।

(ii) ऐसे अनुमोदन पोतलदान के लिए मीयादी बिल के आहरण के मामले में भी दिए जा सकते हैं बशर्ते संबंधित साखपत्र संपूर्ण निर्यात मूल्य को कवर करता हो, साथ ही ऐसे बिल की आहरण की अनुमति देता हो और मीयादी बिल की परिपक्वता अवधि पोतलदान की तारीख से नौ महीने के अंदर हो।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को सतर्कता-सूची में सूचीबद्ध निर्यातकों को गारंटी जारी करने हेतु रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए ।

भाग-डी

निर्यात से जुड़े विप्रेषण

डी.1 निर्यातों पर एजेंसी कमीशन

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कमीशन के भुगतान की अनुमति विप्रेषण या बीजक मूल्य से कटौती के जरिए दे सकते हैं। एजेंसी कमीशन पर विप्रेषण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाए:

ए) कमीशन की राशि ईडीएफ/एसडीएफ सॉफ्टेक्स फार्मों पर घोषित की गई हो और सीमा शुल्क प्राधिकारी या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार/ ईपीज़ेड प्राधिकारियों, जैसा भी मामला हो, द्वारा स्वीकृत किया गया हो। जिन मामलों में कमीशन ईडीएफ/एसडीएफ/सॉफ्टेक्स फ़ार्मों पर घोषित नहीं किया गया हो, उन मामलों में उसके विप्रेषण की अनुमति निर्यात घोषणा फ़ार्म पर कमीशन की घोषणा न करने के संबंध में निर्यातक द्वारा दिए गए कारणों के बारे में संतुष्ट होने पर दे सकते हैं, बशर्ते कमीशन के भुगतान हेतु निर्यातक और/ अथवा हिताधिकारी के बीच वैध करार/लिखित समझैता हुआ हो ।

बी) संबंधित पोतलदान किया जा चुका है।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक भारतीय निर्यातकों द्वारा अमरीकी डॉलर में नामित एस्क्रो खातों के जरिए काउंटर ट्रेड व्यवस्था के तहत कवर किए गए उनके निर्यातों के संबंध में कमीशन के भुगतान हेतु अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकते है:

ए) कमीशन का भुगतान उक्त पैरा (i) (ए) और (बी) में निर्धारित शर्तें पूरी करता हो।

बी) कमीशन स्वयं एस्क्रो खाता धारकों के लिए देय नहीं है ।

सी) कमीशन को बीजक मूल्य से घटाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए ।

(iii) भारतीय साझेदारों द्वारा विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों के साथ ही साथ रुपया ऋण मार्ग, इसमें चाय और तंबाकू के निर्यात के बीजक मूल्य के 10 प्रतिशत तक के कमीशन शामिल नहीं है, के तहत निर्यात में भी ईक्विटी सहभागिता के रूप में किए गए निर्यातों पर कमीशन का भुगतान निषिद्ध है।

डी.2 निर्यात प्राप्यों की धन वापसी

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक जिनके जरिए आगम मूल रूप में प्राप्त हुए थे, भारत से निर्यात किए गए किंतु खराब गुणवत्ता के कारण भारत में पुनः आयातित माल के निर्यात प्राप्यों की धन वापसी के अनुरोध पर विचार करें। ऐसे लेनदेनों की अनुमति देते समय, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से अपेक्षित है कि वे सुनिश्चित करें कि:

(i) निर्यातक के पिछले कार्य निष्पादन रिपोर्ट के संबंध में पर्याप्त सावधानी बरती जाए;

(ii) लेनदेनों की विश्वसनीयता का सत्यापन किया जाए;

(iii) डीजीएफटी/सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र निर्यातक से प्राप्त करें कि संबंधित आयात पर निर्यातक ने कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया है अथवा संबंधित निर्यात के लिए लिए गए आनुपातिक प्रोत्साहन, यदि कोई हो, को लौटा दिया गया है;

(iv) निर्यातक से इस आशय का वचन पत्र लें कि प्रेषण की तारीख से तीन महीनों के अंदर माल का वापस आयात किया जाएगा; और

(v) सामान्य आयातों पर यथा लागू सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।

संलग्नक-1

फार्म ई. एफ. सी.

(निर्यातकों द्वारा भारत अथवा विदेश में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलने के लिए आवेदनपत्र)

अनुदेश :

1. आवेदनपत्र दो प्रतियों में भरा जाये और भारत में विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले बैंक की नामित शाखा, जिसमें विदेशी मुद्रा खाता रखा जाना है/जो कि इन खातों के लेनदेनों पर निगरानी रखेगा, के जरिये भारतीय रिजर्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाए जिसके अधिकारक्षेत्र में निर्यातक रहता है।

2. भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदनपत्र अग्रेसित करने से पूर्व प्राधिकृत बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदनपत्र विधिवत भरा गया है, उसकी अच्छी तरह से जाँच कर लें ।

प्रलेखन :

3. निर्यातक द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान वसूल किए गए तथा नियत तारीख के बाद बकाया निर्यात बिलों का उल्लेख करते हुए घोषणापत्र जिसे लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया हो ।

4. विगत 3 वर्षों के दौरान किये गये आयातों का देश-वार ब्योरा देते हुए लेखापरीक्षक द्वारा जारी प्रमाणपत्र.

5. प्रस्तावित ऋण/ ओवरड्राफ्ट / ऋण सहायता सुविधा संबंधी शर्तों का उल्लेख करने वाले समुद्रपारीय बैंक द्वारा जारी पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

6. लिये गये विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में परिपक्वता पैटर्न का उल्लेख करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की प्रमाणित प्रतियां।

<table>
<tr><td>1.</td><td>निर्यातक का नाम व पता</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>आयातक-निर्यातक की कूट संख्या</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>बैंक/ शाखा जिसके साथ विदेशी मुद्रा खाता रखना प्रस्तावित है, का नाम व पता</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>उस स्थिति में जब कि भारत से बाहर विदेशी मुद्रा खाता रखा जाना है, भारत में उस बैंक/ शाखा का नाम व पता जो कि विदेशी मुद्रा खाते के जरिये किये जाने वाले लेनदेनों पर निगरानी रखेगा ।</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td rowspan="2">विगत 3 वर्षों के दौरान किये गये निर्यातों और वसूली तथा ----------के अंत में बकाया</td><td>वित्तीय वर्ष</td><td>किया गया कुल निर्यात (रु.)</td><td>वसूल की गयी राशि (रु.)</td><td>----------के अंत में बकाया(रु.)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>कैलेंडर वर्ष के दौरान किये गये आयातों का</td><td colspan="2">वित्तीय वर्ष</td><td>देश</td><td>राशि (रु)</td></tr>
</table>

	विगत 3 वर्षों का ब्योरा, देश-वार व राशि सहित दें।			
7.	यदि विदेश स्थित बैंक में खाता खोलने का प्रस्ताव है तो उस बैंक, जिसमें खाता रखा जाएगा, से ऋण/ओवरड्राफ्ट /क्रेडिट सुविधा लेने के बारे में ब्योरे दें।			
8	आगामी वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा खाते में जमा की जाने वाली निर्यात- प्राप्तियों और विभिन्न मदों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा खाते से किये जाने वाले भुगतानों का तिमाही-वार पूर्वानुमान।			
9.	क्या कभी निर्यातक का नाम सतर्कता सूची में रखा गया है/था ?			
10.	निर्यातक द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण और उनकी परिपक्वता के पैटर्न के ब्योरे।			
11.	कोई अन्य जानकारी जिसे आवेदक अपने आवेदनपत्र के समर्थन में देना चाहे ।			

स्थान :	----------	
दिनांक :		----------
	मुहर	आवेदक/ प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
		नाम:
		पदनाम:

(प्राधिकृत व्यापारी के अभिमत के लिए स्थान)

भारत में बैंक की उस शाखा के अभिमत जिसके पास खाता रखने का प्रस्ताव है अथवा जो विदेश में, यथास्थिति, किसी बैंक में रखे गये खाते के लेनदेनों पर निगरानी रखेगा।

दिनांक :	----------	----------
	मुहर	आवेदक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
	नाम:	
	पदनाम:	
	प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता	

संलग्नक 2

निर्यात घोषणा फार्म

<table>
<tr><td colspan="6">सामान्य जानकारी</td></tr>
<tr><td colspan="3">कस्टम्स सिक्यूरिटी सं.</td><td colspan="3">फार्म सं.</td></tr>
<tr><td colspan="2">कार्गो का स्वरूप:
[ ] सरकारी [ ] गैर-सरकारी</td><td colspan="2">पोत लदान बिल सं. तथा तारीख:</td><td colspan="2">परिवहन प्रकार: [ ] हहवाई [ ]जमीं [ ] समुद्र [ ]डाक/कूरियर [ ] अन्य</td></tr>
<tr><td colspan="3">निर्यातक की श्रेणी: [ ] कस्टम (DTA इकाइयां) [ ]SEZ[ ] हैसियतवाले निर्यातक [ ]100%EOU
वेयरहाउस निर्यात [ ] अन्य (स्पष्ट करें)...</td><td colspan="3">भा.रि.बैंक के अनुमोदन की सं. और तारीख, यदि कोई हो</td></tr>
<tr><td colspan="3">आईई कोड:</td><td colspan="3">प्रा.व्या.कोड</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">परेषिती का नाम और पता:</td><td colspan="3">वसूली का प्रकार: [ ] L/C [ ] BG [ ] अन्य विदेश में रखे गए बैंक खाते में अंतरण/विप्रेषण सहित अग्रिम भुगतान, आदि)</td></tr>
<tr><td colspan="3">लदान का पोर्ट/SEZ के मामले में सोर्स पोर्ट</td></tr>
<tr><td colspan="2">तीसरी पार्टी का नाम और पता (निर्यातों के लिए तीसरी पार्टी भुगतनों के मामले में)</td><td colspan="2">गंतव्य देश:</td><td colspan="2">डिस्चार्ज का पोर्ट:</td></tr>
<tr><td colspan="2">LC/BG के मामले में भारतीय बैंक का नाम और प्रा.व्या.कोड</td><td colspan="2">क्या भुगतान ACU के जरिए प्राप्त किया जाना है? [ ]हाँ [ ] नहीं</td><td colspan="2">LEO तारीख:</td></tr>
<tr><td colspan="3">सामान्य कमोडिटी वर्णन</td><td colspan="3">माल के मूल का राज्य ;</td></tr>
<tr><td colspan="3">कुल FOB मूल्य शब्दों में (INR)</td><td colspan="3">कस्टम निर्धार्णीय मूल्य (INR)*:</td></tr>
<tr><td colspan="6">2. निर्यात मूल्य के बीजक-वार ब्योरे
यदि किसी विशिष्ट लदान बिल के लिए एक बीजक से अधिक बीजक हो, तो बीजकों की संख्या के अनुसार ब्लॉक 2 रिपीट किया जाए)</td></tr>
<tr><td colspan="2">बीजक सं.

बीजक दिनांक</td><td colspan="2">बीजक मुद्रा
बीजक राशि</td><td colspan="2">संविदा का स्वरूप
[ ]FOB [ ] CIF [ ]C&F [ ]CI [ ]अन्य</td></tr>
<tr><td>ब्योरे</td><td>मुद्रा</td><td>वि.मु.में राशि</td><td>विनिमय दर</td><td colspan="2">राशि</td></tr>
<tr><td>FOB मूल्य</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>भाड़ा</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>बीमा</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>कमीशन</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>बट्टा</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>अन्य कटौती</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>पैकिंग प्रभार</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">निवल वसूलीयोग्य मूल्य</td></tr>
</table>

निर्यात घोषणा फार्म

3.FPO/कूरियर के तहत निर्यात के लिए लागू	
	प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

4.निर्यातकों (सभी प्रकार के निर्यातक) द्वारा घोषणा

मैं/हम@ एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम@ माल का/की विक्रेता हूँ/हैं जिसके संबंध में यह घोषणा की गई है और उपर्युक्त दिये गये ब्योरे सही हैं और खरीददार से प्राप्त किया जाने वाला मूल्य संविदागत तथा उपर्युक्त घोषित निर्यात के मूल्य को दर्शाता है। मैं/हम@ यह वचन देता/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम@ उपर्युक्त के अनुसार निर्यात किये गये माल के पूर्ण मूल्य को दर्शाने विदेशी मुद्रा उपर्युक्त प्राधिकृत बैंक को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से ----------(दिनांक) को अथवा उसके पहले (अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट अविध के भीतर) सुपुर्द करूँगा/करूंगी/करेंगे ।

मैं/हम@ भारतीय रिज़र्व बैंक की सचेतक सूची में नहीं हूं/हैं।

तारीख :

मुहर (स्टैम्प) निर्यातक के हस्ताक्षर

कस्टम /एसईजेड के सक्षम प्राधिकारी के उपयोग के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि कस्टम /एसईजेड/ की इकाई द्वारा की गई उपर्युक्त घोषणा कि ऊपर वर्णित माल का निर्यात किया गया है एवं निर्यातक द्वारा इस फार्म में घोषित निर्यात मूल्य उक्त इकाई द्वारा प्रस्तुत तदनुरूपी इनवाइस/इनवासों के सारांश एवं घोषणा के अनुसार है/हैं।

स्थान :

तारीख :

एसटीपीआई/ ईपीजेड/ एसईजेड के नामित प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

@ जो लागू न हो उसे कट दें।

*SEZ से प्रभावित क्षेत्र के मामले में इकाई घोषित मूल्य

संलग्नक - 3

रॉयल्टी प्राप्ति के लिए बल्क में प्रस्तुत सॉफ्टेक्स फॉर्मों का फॉर्मेट

खंड - ए समरी शीट

निर्यातक का नाम और पता		आईईसी कोड:	
अनुमति पत्र सं. (एलओपी) (एसटीपी/ ईएचटीपी/एसईजेड/ ईपीजेड/100% ईओयू/डीटीए यूनिट)		अनुमति पत्र जारी करने की तारीख:	
प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा प्रदाता का नाम		एसटीपीआई/ एसईज़ेड सेंटर:	
प्राधिकृत व्यापारी/बैंक का नाम और पता		प्राधिकृत व्यापारी कोड:	

खंड - बी

डाटाकॉम/लिंक के जरिये ऑफशोर निर्यात मूल्य के लिए बीजकों की सूची

----------से----------तक जारी बीजकों की अवधि

क्रम सं.	**सॉफ्टेक्स सं.**	**ग्राहक का नाम**	**ग्राहक का पता**	**देश**	**आंतरिक परियोजना कोड/ संविदा/ करार सं. और तारीख**	**निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का स्वरूप/ प्रकार**	**वूसली का तरीका (mode)**	**बीजक सं.**	**बीजक का दिनांक (दिदि/मामा/वव)**	**मुद्रा (currency)**	**निर्यात मूल्य का विश्लेषण**				
											साफ्टवेयर का निर्यात मूल्य (ए)	प्रेषण शुल्क (बी)	कमीशन (सी)	कटौती (डी)	निवल वसूलनीय मूल्य [(ए+बी)-(सी+डी)]

खंड - सी

निर्यातक द्वारा घोषणापत्र

मैं/हम@ एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम@ सॉफ्टवेयर का/की विक्रेता हूँ/हैं जिसके संबंध में यह घोषणा की गई है और उपर्युक्त दिये गये ब्योरे सही हैं और खरीददार से प्राप्त किया जाने वाला मूल्य संविदागत तथा उपर्युक्त घोषित निर्यात के मूल्य को दर्शाता है। मैं/हम@ यह भी घोषित करता/करती हूँ/ करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और वैध डाटाकॉम लिंक्स का उपयोग करते हुए विकसित तथा वास्तव में निर्यात किया गया है और यह प्रमाणित किया जाता है कि उल्लिखित साफ्टवेयर वास्तव में ट्रांस्मिट किया गया था। मैं/हम@ यह वचन देता/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम@ उपर्युक्त के अनुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर के पूर्ण मूल्य को दर्शाने विदेशी मुद्रा उपर्युक्त प्राधिकृत बैंक को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत wबनाए गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से ----------(दिनांक) को अथवा उसके पहले (अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट अविध के भीतर) सुपुर्द करूँगा/करूंगी/करेंगे ।

मैं/हम@ भारतीय रिज़र्व बैंक की सचेतक सूची में नहीं हूं/हैं।

स्थान :

तारीख :

नाम :

पदनाम : मुहर (स्टैम्प)

निर्यातक के हस्ताक्षर

एसटीपीआई / ईपीजेड/ एसईजेड के सक्षम प्राधिकारी के उपयोग के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि एसईजेड/एसटीपीआई की इकाई द्वारा की गई उपर्युक्त घोषणा कि ऊपर वर्णित साफ्टवेयर का निर्यात किया गया है एवं निर्यातक द्वारा इस फार्म में घोषित निर्यात मूल्य उक्त इकाई द्वारा प्रस्तुत तदनुरूपी इनवाइस/इनवासों के सारांश एवं घोषणा के अनुसार है/हैं।

स्थान :

तारीख :

नाम :

पदनाम : मुहर (स्टैम्प)

एसटीपीआई/ईपीजेड/एसईजेड के नामित/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

@ जो लागू न हो उसे काट दें।

बल्क में प्रस्तुत सॉफ्टेक्स फॉर्मों का फॉर्मेट

खंड - ए समरी शीट

निर्यातक का नाम और पता		आईईसी कोड:	
अनुमति पत्र सं. (एलओपी)(एसटीपी/ईएचटीपी/एसईजेड/ईपीजेड/100% ईओयू/डीटीए यूनिट)		अनुमति पत्र जारी करने की तारीख:	
प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा प्रदाता का नाम		एसटीपीआई/एसईज़ेड सेंटर:	
प्राधिकृत व्यापारी/बैंक का नाम और पता		प्राधिकृत व्यापारी कोड:	

खंड - बी

डाटाकॉम/लिंक के जरिये ऑफशोर निर्यात मूल्य के लिए बीजकों की सूची

----------से----------तक की अवधि के दौरान निर्यातित सॉफ्टवेयर पैकेजेस/उत्पादों पर रॉयल्टी के लिए बीज़कों के ब्योरे

क्रम सं.	**सॉफ्टेक्स सं.**	**ग्राहक का नाम**	**ग्राहक का पता**	**देश**	**मुद्रा**	**बीजक संख्या**	**बीजक अवधि (दिदि/मम/वव)**	**युनिक आंतरिक परियोजना कोड/संविदा/करार सं. और तारीख**	**बीजक मुद्रा में दर्ज ऑफशोर निर्यात मूल्य**	**निर्यातित सॉफ्टवेयर का स्वरूप/प्रकार**	निर्यातित सॉफ्टवेयर पैकेजों/उत्पादों के ब्योरे				रॉयल्टी मूल्य की वसूली का तरीका	रॉयल्टी राशि की गणना
											जीआर/एसडीएफ/पीपी/सॉफ्टेक्स/ईडीएफ फार्म सं. जिस पर निर्यातों की घोषणा की गई	निर्यात की तारीख	रायल्टी करार के ब्योरे			
													रायल्टी का प्रतिशत और राशि	रायल्टी करार की अवधि		

खंड - सी

निर्यातक द्वारा घोषणापत्र

मैं/हम@ एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम@ सॉफ्टवेयर का/की विक्रेता हूँ/हैं जिसके संबंध में यह घोषणा की गई है और उपर्युक्त दिये गये ब्योरे सही हैं और खरीददार से प्राप्त किया जाने वाला मूल्य संविदागत तथा उपर्युक्त घोषित निर्यात के मूल्य को दर्शाता है। मैं/हम@ यह भी घोषित करता/करती हूँ/ करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और वैध डाटाकॉम लिंक्स का उपयोग करते हुए विकसित तथा वास्तव में निर्यात किया गया है और यह प्रमाणित किया जाता है कि उल्लिखित साफ्टवेयर वास्तव में ट्रांस्मिट किया गया था। मैं/हम@ यह वचन देता/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम@ उपर्युक्त के अनुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर के पूर्ण मूल्य को दर्शाने विदेशी मुद्रा उपर्युक्त प्राधिकृत बैंक को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से ---------- (दिनांक) को अथवा उसके पहले (अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट अविध के भीतर) सुपुर्द करूँगा/करूंगी/करेंगे ।

मैं/हम@ भारतीय रिज़र्व बैंक की सचेतक सूची में नहीं हूं/हैं।

स्थान :

तारीख :

नाम :

पदनाम : मुहर (स्टैम्प)

निर्यातक के हस्ताक्षर

एसटीपीआई/ ईपीजेड/ एसईजेड के सक्षम प्राधिकारी के उपयोग के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि एसईजेड/एसटीपीआई की इकाई द्वारा की गई उपर्युक्त घोषणा कि ऊपर वर्णित साफ्टवेयर का निर्यात किया गया है एवं निर्यातक द्वारा इस फार्म में घोषित निर्यात मूल्य उक्त इकाई द्वारा प्रस्तुत तदनुरूपी इनवाइस/इनवासों के सारांश एवं घोषणा के अनुसार है/हैं।

स्थान :

तारीख :

नाम : ----------

पदनाम : मुहर (स्टैम्प)

एसटीपीआई/ ईपीजेड/ एसईजेड के नामित/ प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

@ जो लागू न हो उसे काट दें।

संलग्नक IV

अतिदेय निर्यात अग्रिमों के ब्योरे दर्शानेवाला तिमाही विवरण

(-------20 को समाप्त तिमाही के लिए विवरण)

क्रम सं.	प्रा.व्या. कोड	प्रा.व्या. सं.सं.	निर्यात का नाम और पता	विदेशी क्रेता का नाम और पता	प्राप्त अग्रिम के ब्योरे			बकाया राशि (पार्ट निर्यातों के मामले में)	निर्यात न किए जाने के कारण	यदि मामला DoE को प्रेषित किया गया हो	
					दिनांक	मुद्रा	राशि			दिनांक	कारण